



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 01 नवम्बर 2025 ई० (कार्तिक 10, 1947 शक संवत्) [संख्या 44

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	553—560	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1057—1230	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	87—88	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1691—1714	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-3

कार्यालय ज्ञाप

30 जनवरी, 2025 ई0

सं0 221/पाँच-3-2025—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (निश्चेतक) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1)— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

- (2)– उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
- (3)– ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
- (4)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- (5)– चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- (6)– एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।
- (7)– मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2– प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-221/पाँच-3-2025, दिनांक 30 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02343555 0000001	44	डा0 अंकिता सक्सेना पुत्री श्री निर्मल कुमार सक्सेना	निश्चेतक	UR/ GEN/ FEM	डी1 गैल परिसर शिप्रा विहार देवास रोड नागजरी, उज्जैन मध्यप्रदेश- 456010	डी1 गैल परिसर शिप्रा विहार देवास रोड नागजरी, उज्जैन मध्यप्रदेश- 456010	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ललितपुर
2	00919355 0000008	56	डा0 सद्दाम हुसैन पुत्र श्री मो0 असलम	निश्चेतक	UR/ OBC	94 बिचला पोखरा छोटी मस्जिद के पास बलिया-221715	94 बिचला पोखरा छोटी मस्जिद के पास बलिया- 221715	जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर
3	00709255 0000010	65	डा0 रोहित पुत्र श्री महावीर	निश्चेतक	UR/ GEN	वी544 गली नं0- 3 अरविन्द नगर घोण्डा, नाथ ईस्ट दिल्ली- 110053	वी544 गली नं0-3 अरविन्द नगर घोण्डा, नाथ ईस्ट दिल्ली-110053	एम0सी0एच0 विंग जिला महिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर
4	00917555 0000162	66	डा0 सैय्यद सैफ अहमद पुत्र श्री सैय्यद शाद अहमद	निश्चेतक	UR/ GEN	रेलवे क्रासिंग के पास पूरा अच्छी फूलपुर, प्रयागराज- 212402	रेलवे क्रासिंग के पास पूरा अच्छी फूलपुर, प्रयागराज- 212402	30 शैय्या एम0सी0एच0 विंग, लम्मुआ, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर
5	00198855 0000035	34	डा0 रामानन्द गुप्ता पुत्र श्री दिग्विजय नाथ गुप्ता	निश्चेतक	UR/ OBC	बी0 355356 विकास नगर कालोनी गोरखपुर- 273007	बी0 355356 विकास नगर कालोनी गोरखपुर- 273007	जिला महिला चिकित्सालय, प्रयागराज

सं0 222/पाँच-3-2025—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (स्त्रीरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1)— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)— उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)— ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(4)— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)— चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)— एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)— मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-222/पाँच-3-2025, दिनांक 30 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0091935500 00022	1	डा0 मधुलिका सिंह पुत्री श्री मनोज कुमार सिंह	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	डा0 गौरव राय गौरव मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल टिक, बलिया-277001	डा0 गौरव राय गौरव मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल टिक, बलिया-277001	जिला संयुक्त चिकित्सालय, अमरोहा
2	0091755500 00130	56	डा0 निशिता चौधरी पुत्री श्री आजाद हिन्द	स्त्रीरोग	SC/ FEM	13, 3 पूरा जगन्नाथ सिरसा मेजा, प्रयागराज- 212305	13, 3 पूरा जगन्नाथ सिरसा मेजा, प्रयागराज- 212305	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ललितपुर
3	0091645500 00082	58	डा0 निधि गुप्ता पुत्री श्री श्याम बिहारी गुप्ता	स्त्रीरोग	UR as EWS/ FEM	डा0 ए0 दिनेश, 15022 लकी हास्पिटल कुरवार रोडा, सुल्तानपुर- 228001	डा0 ए0 दिनेश, 15022 लकी हास्पिटल कुरवार रोडा, सुल्तानपुर- 228001	30 शैय्या एम0सी0एच0 विंग, कुडवार, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर
4	0091955500 00024	55	डा0 पंकज कुमार गौर पुत्र श्री श्यामलाल गौर	स्त्रीरोग	ST	रत्नागरपुर सतुहारी, गाजीपुर-233307	उमराहा बाजार पंचायत भवन के पास वाराणसी- 221112	जिला संयुक्त चिकित्सालय, सम्भल
5	0224095500 00001	7	डा0 नम्रता पाण्डेय पुत्री श्री अनिल कुमार पाण्डेय	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	क्यू0आर0नं0- 6बी0 गली 30 सेक्टर-1 दुर्ग, छत्तीसगढ़- 490001	क्यू0आर0नं0- 6बी0 गली 30 सेक्टर-1 दुर्ग, छत्तीसगढ़- 490001	एम0सी0एच0 विंग जिला महिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर
6	0091645500 00029	44	डा0 श्रुति बाजपेई पुत्री श्री श्याम प्रकाश बाजपेई	स्त्रीरोग	UR/ GEN/ FEM	एन0-214 यशोदानगर, कानपुर नगर- 208011	एन0-214 यशोदानगर, कानपुर नगर- 208011	100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, धामपुर, बिजनौर

सं0 223/पाँच-3-2025-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (हड्डी रोग) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1)— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)— उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)— ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(4)— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)— चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)— एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)— मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0-223/पाँच-3-2025, दिनांक 30 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00915755000 0233	15	डा0 पुरुषोत्तम गांधी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	हड्डीरोग	OBC	537 246 नई बस्ती पुरनिया नियर ऐशिया ई0एन0टी0 हास्पिटल, सीतापुर रोड, लखनऊ-226024	537 246 नई बस्ती पुरनिया नियर ऐशिया ई0एन0टी0 हास्पिटल, सीतापुर रोड, लखनऊ-226024	ट्रामा सेन्टर जमैयतपुर, खैराबाद अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर
2	00919055000 0015	19	डा0 राकेश प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद	हड्डीरोग	ST	सिरिशिया पवार, पो0-भवानीछापार बाजार, देवरिया- 274703	सिरिशिया पवार, पो0-भवानीछापार बाजार, देवरिया- 274703	जिला संयुक्त चिकित्सालय, बलरामपुर

सं0 224 / पाँच-3-2025—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रु0 6,600/- चिकित्साधिकारी (बालरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।

2— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

3— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

5— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1)— दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

(2)— उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3)— ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(4)— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5)— चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6)— एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7)— मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2— प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं०-224/पाँच-3-2025, दिनांक 30 जनवरी, 2025 की तैनाती सूची

क्र० सं०	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का नाम	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55000026798	5	डा० मो० अबु बकर अंसारी पुत्र श्री मो० यामीन अंसारी	बालरोग	UR/ OBC	30 भवानी नगर, हापुड़ रोड, मेरठ-250002	30 भवानी नगर, हापुड़ रोड, मेरठ-250002	जिला संयुक्त चिकित्सालय, संजयनगर, गाजियाबाद
2	55000027706	9	डा० समीक्षा प्रकाश पुत्री श्री जितेन्द्र प्रकाश	बालरोग	UR/ GEN/ FEM	बी 264 पैरामाऊट गोल्फ फोर स्टेट, यू०पी०एस०आ० ई०डी०सी० सूरज पुर साईट सी, ग्रेटर नोयडा गौतमबुद्धनगर-201013	बी 73 सोमदत्त सिटी, बी० ब्लाक मेरठ-250004	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर
	00910555000 0003	30	डा० ओम प्रकाश पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	बालरोग	UR/ GEN	साहारई पो० डीह भरतपुर, राजस्थान-321203	साहारई पो० डीह भरतपुर, राजस्थान-321203	जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

कार्मिक विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

30 जून, 2023 ई०

सं० 337सा०/47-का-4-2023-15(39)/2000—“भारत का संविधान के अनुच्छेद 316 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, श्री राज्यपाल, डा० अशोक कुमार वर्मा, मकान नं० 14ई, 4ए, जवाहर लाल नेहरू रोड, पोस्ट-टैगोर टाउन, तहसील-सदर, थाना-जार्जटाउन, जिला-प्रयागराज, पिन-211002 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य पद पर सहर्ष नियुक्त करती हैं।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 01 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 10, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

लोक आयुक्त, प्रशासन विभाग

कार्यालय ज्ञाप

प्रोन्नत

30 अप्रैल, 2025 ई०

सं० 3015/लो०आ०-2025-17-2017-एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम-1975 की धारा-14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री मनीष श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनु सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश के रिक्त पद वेतन बैंड-3, वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे-6600, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, 67,700-2,08,700 में प्रोन्नत किया जाता है।

न्यायमूर्ति संजय मिश्रा,
लोक आयुक्त, उ०प्र०।

कार्यभार प्रमाण-पत्र

30 अप्रैल, 2025 ई०

सं० 3034/लो०आ०-2025-17-2017-प्रमाणित किया जाता है कि अनु सचिव लोक आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, के पद का कार्यभार लोक आयुक्त कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 3015/लो०आ०-2025-17/2017 दिनांक 30-04-2025 के अनुपालन में जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 30-04-2025 के अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

अवमोचन अधिकारी

श्री मनीष श्रीवास्तव

प्रतिहस्ताक्षरित,
डा० रामा बंसल,
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण विभाग
अनुभाग-1
अधिसूचना

लखनऊ, दिनांक 17 सितम्बर, 2025

सं0 1/1090788/2025—साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (अधिनियम संख्या 20, सन् 1958) की धारा-17 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या 2, सन् 2016) की धारा-110 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम, 1958 की धारा-17 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार समस्त संबंधित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उक्त नियमावली के संबंध में समस्त आपत्तियां और सुझाव दो प्रतियों में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ-226001 को सम्बोधित करके प्रेषित किए जाने चाहिए।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझाव पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह शासकीय गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-परिशिष्ट का संशोधन उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान परिशिष्ट)							
परिशिष्ट (नियम 3(क), 4(2), 5, 8 और 23(2) देखें)							
पद का नाम	पद की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी	भर्ती का स्रोत और पदोन्नति के मानदण्ड	शैक्षणिक योग्यता	वेतन-मान
1	2	3	4	5	6	7	8
1- मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	1	-	1	राज्यपाल	मौलिक रूप से नियुक्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों/मूल्यांकन अधिकारियों में से जिन्होंने इस रूप में प्रथम दिवस को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, नियम-17 के उप नियम (1) में विहित रीति से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	-	रु0 10,000-325-15,200

स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)							
परिशिष्ट							
पद का नाम	पद की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी	भर्ती का स्रोत और पदोन्नति के मानदण्ड	शैक्षणिक योग्यता	वेतन-मान
1	2	3	4	5	6	7	8
1- मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	1	-	1	राज्यपाल	मौलिक रूप से नियुक्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों/मूल्यांकन अधिकारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, नियम-17 के उप नियम (1) में विहित रीति से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	-	वेतन बैंड-15,600 - 39,100 ग्रेड वेतन-7600 मेट्रिक्स लेवल-12

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
2- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/ मूल्यांकन अधिकारी	-	13	13	राज्यपाल	मौलिक रूप से नियुक्त जिला परिवीक्षा अधिकारियों, महिला परिवीक्षा अधिकारियों और क्षेत्र अधिकारियों में से, जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, नियम-17 के उप नियम (1) में विहित रीति से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	-	8,000- 275- 13,500	2- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/ मूल्यांकन अधिकारी	-	19	19	राज्यपाल	मौलिक रूप से नियुक्त जिला परिवीक्षा अधिकारियों, महिला परिवीक्षा अधिकारियों और क्षेत्र अधिकारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से नियम-17 के उप नियम (1) में विहित रीति से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	-	वेतन बैण्ड- 15,600- 39,100 ग्रेड वेतन 6600 मैट्रिक्स लेवल-11
3- जिला परिवीक्षा अधिकारी/ महिला परिवीक्षा अधिकारी/ क्षेत्र अधिकारी	50	10	60	राज्यपाल	(एक) पचास प्रतिशत नियम 14 के उप नियम (1) में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा (दो) पचास प्रतिशत उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली, 1980 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत स्थापित गृहों के मौलिक रूप से नियुक्त परिवीक्षा अधिकारियों/केस वर्कर्स/मनोवैज्ञानिकों, अधीक्षकों, जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, में से, नियम 16 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, निम्नलिखित अनुपात में: 1- परिवीक्षा अधिकारी और केस वर्कर्स 35% 2- मनोवैज्ञानिक पाँच प्रतिशत 3- अधीक्षक दस प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व- विद्यालय से मनो- विज्ञान या समाज- शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नात- कोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नात- कोत्तर डिप्लोमा	6,500- 200- 10,500	3- जिला परिवीक्षा अधिकारी/ महिला परिवीक्षा अधिकारी/ क्षेत्र अधिकारी	50	27	77	राज्यपाल	(एक) पचास प्रतिशत, नियम 14 के उप नियम (1) में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा (दो) पचास प्रतिशत, उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली, 1980 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन स्थापित गृहों के मौलिक रूप से नियुक्त परिवीक्षा अधिकारियों/केस वर्कर्स/ मनोवैज्ञानिकों, अधीक्षकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, नियम 16 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, निम्नलिखित अनुपात में: 1- परिवीक्षा अधिकारी और केस वर्कर्स 35% 2- मनोवैज्ञानिक पाँच प्रतिशत 3- अधीक्षक दस प्रतिशत	सीधी भर्ती के लिए: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व- विद्यालय से मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या समाज कार्य या महिला अध्ययन या लिंग अध्ययन में स्नात- कोत्तर उपाधि।	वेतन बैण्ड- 15,600- 39,100 ग्रेड वेतन 5400 मैट्रिक्स लेवल-10

1	2	3	4	5	6	7	8
4-परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर	16	---	16	निदेशक	(एक) पचास प्रतिशत नियम 14 के उप नियम (1) में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा (दो) पचास प्रतिशत उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली, 1980 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन स्थापित गृहों के मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अधीक्षक और उप अधीक्षक जिन्होंने इस रूप में भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, से नियम-16 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से मनोविज्ञान या समाज-शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	5000-150-8000
5-अधीक्षक	38	--	38	निदेशक	तदैव	तदैव	5,000-150-8,000

1	2	3	4	5	6	7	8
4-परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर	16	---	16	निदेशक	(एक) पचास प्रतिशत, नियम 14 के उप नियम (1) में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा (दो) पचास प्रतिशत, उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली, 1980 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन स्थापित गृहों के मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अधीक्षक और उप अधीक्षक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, नियम-16 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती के लिए: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से मनो-विज्ञान या समाज-शास्त्र या समाज कार्य या महिला अध्ययन या लिंग अध्ययन में स्नात-कोत्तर उपाधि।	वेतन बैंड-9,300-34,800 ग्रेड वेतन 4200 मैट्रिक्स लेवल-6
5-अधीक्षक	38	--	38	निदेशक	(एक) पचास प्रतिशत, नियम 14 के उप नियम (1) में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा (दो) पचास प्रतिशत, उत्तर प्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियमावली, 1980 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन स्थापित गृहों के मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अधीक्षक और उप अधीक्षक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, नियम-16 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती के लिए: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से मनो-विज्ञान या समाज-शास्त्र या समाज कार्य या महिला अध्ययन या लिंग अध्ययन में स्नात-कोत्तर उपाधि।	वेतन बैंड-9,300-34,800 ग्रेड वेतन 4200 मैट्रिक्स लेवल-6

आज्ञा से,
(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव

**UTTAR PRADESH SHASAN
MAHILA KALYAN VIBHAG
ANUBHAG- 1**

September, 17, 2025

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. I/1032773/2025 dated September, 17, 2025.

Notification

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under section 17 of the Probation of Offenders Act, 1958 (Act No. 20 of 1958) and Section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act No. 2 of 2016) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) are hereby published as required by Sub-Section (3) of Section 17 of the said Act of 1958 for the information of all concerned and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof;

All objections and suggestions with respect to said rules should be sent in duplicate addressed to the Principal Secretary, Mahila Kalyan Anubhag-1, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow-226001.

Only those objections and suggestions which are received within thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette shall be taken into consideration.

DRAFT RULES

The Uttar Pradesh Probation Officers (Gazetted) Service (First Amendment) Rules, 2025

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Probation Officers (Gazetted) Service (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Appendix

In the Uttar Pradesh Probation Officers (Gazetted) Services Rules, 2004 for the existing Appendix set out in the Column- I below, the Appendix as set out in Column- II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I (Existing Appendix)								COLUMN-II (Appendix as hereby substituted)							
APPENDIX [See Rules 3(a), 4(2), 5, 8 and 23(2)]								APPENDIX							
Name of the post	Number of post			Appointing Authority	Source of recruitment and criterion for promotion	Academic Qualification	Scales of Pay	Name of the post	Number of posts			Appointing Authority	Source of recruitment and criterion for promotion	Academic Qualification	Scales of Pay
	Perma- nent	Temp- orary	Total						Perma- nent	Tempo- rary	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1-Chief Probation Officer	1	-	1	Governor	By promotion through Selection Committee in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 17 from amongst substantively appointed Deputy Chief Probation Officer/ Evaluation Officer who have completed two years of service as such on the first day of the year of recruitment.	--	Rs.10,000-325-15,200	1-Chief Probation Officer	1	-	1	Governor	By promotion through Selection Committee in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 17 from amongst substantively appointed Deputy Chief Probation Officers/ Evaluation Officers who have completed two years of service as such on the first day of the year of recruitment.	--	Pay Band 15,600-39,100 Grade pay 7600 Matrix Level-12

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
2- Deputy Chief Probation Officer/ Evaluation Officer	-	13	13	Governor	By promotion through Selection Committee in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 17 amongst substantively appointed District Probation Officers, Lady Probation Officers and Field Officers who have completed five years of service as such on the first day of the year of recruitment.	--	8,000-275-13,500	2- Deputy Chief Probation Officer/ Evaluation Officer	--	19	19	Governor	By promotion through Selection Committee in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 17 amongst substantively appointed District Probation Officers, Lady Probation Officers and Field Officers who have completed five years of service as such on the first day of the year of recruitment.	--	Pay Band 15,600-39,100 Grade pay 6600 Matrix Level-11
3- District Probation Officer/ Lady Probation Officer/ Field Officer	50	10	60	Governor	(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission in the manner prescribed in Sub-rule (1) of rule 14. (ii) Fifty percent by promotion through Commission in the manner prescribed in rule 16 from amongst substantively appointed Probation Officer, Case Worker, Psychologists. Superintendents of homes established under the Uttar Pradesh Probation of Offenders Rules, 1980 and the Juvenile Justice (care and Protection of Children) Act, 2000 who have completed two years service such as on the First day of the year of recruitment in the following ratio: (1) Probation Officers and Case Workers -- Thirty five percent (2) Psychologist -- Five Percent (3) Superintendents -- Ten Percent	For Direct recruitment : A Post Graduate Degree in Psychology or Sociology or Social work from a University established by law in India or a qualification recognised by Government as equivalent thereto or Post Graduate Diploma in any branch of Social Work from a recognised institution of Social Work.	6,500-200-10,500	3- District Probation Officer/ Lady Probation Officer/ Field Officer	50	27	77	Governor	(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 14. (ii) Fifty percent by promotion through Commission in the manner prescribed in rule 16 from amongst substantively appointed Probation Officers, Case Workers, Psychologists, Superintendents of homes established under the Uttar Pradesh Probation of Offenders Rules, 1980 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment in the following ratio: (1) Probation Officers and Case Workers -- Thirty five percent (2) Psychologist -- Five Percent (3) Superintendents -- Ten Percent	For Direct recruitment : A Post Graduate Degree in Psychology or Sociology or Social work or Women Studies Or Gender Studies from a University established by law in India.	Pay Band 15,600-39,100 Grade pay 5400 Matrix Level-10
4- Probation Officer, Case worker	16	--	16	Director	(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission in the manner prescribed in Sub-rule (1) of rule 14. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission, in the manner prescribed in rule 16, from amongst substantively appointed Assistant Superintendents and Deputy Superintendents of homes established under Uttar Pradesh Probation of Offenders rules 1980 and the Juvenile Justice (care and Protection of Children) Act, 2000 who have completed five years service such as on the First day of the year of recruitment.	For Direct recruitment : A Post Graduate Degree in Psychology or Sociology or Social work from a University established by law in India or a qualification recognised by Government as equivalent thereto or Post Graduate Diploma in any branch of Social Work from a recognised institute of Social Work.	5,000-150-8,000	4- Probation Officer, Case worker	16	--	16	Director	(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 14. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission, in the manner prescribed in rule 16, from amongst substantively appointed Assistant Superintendents and Deputy Superintendents of homes established under Uttar Pradesh Probation of Offenders Rules, 1980 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	For Direct recruitment : A Post Graduate Degree in Psychology or Sociology or Social work or Women Studies Or Gender Studies from a University established by law in India.	Pay Band 9,300-34,800 Grade pay 4200 Matrix Level-6

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
5-Superintendent	38	--	38	Director	As above	As above	5,000-150-8,000	5-Superintendent	38	--	38	Director	(i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 14. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission, in the manner prescribed in rule 16, from amongst substantively appointed Assistant Superintendents and Deputy Superintendents of homes established under Uttar Pradesh Probation of Offenders Rules, 1980 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	For Direct recruitment : A Post Graduate Degree in Psychology or Sociology or Social work or Women Studies Or Gender Studies from a University established by law in India.	Pay Band 9,300-34,800 Grade pay 4200 Matrix Level-6

By order,
(Leena Johri)
Pramukh Sachiv.

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता

केन नहर प्रखण्ड, बांदा

कार्यालय ज्ञाप

जल उपभोक्ता अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र (कार्यक्षेत्र) की अधिसूचना

05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1273/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले निम्नलिखित अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	अल्पिका समिति का नाम	पैतृक नहर का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	अल्पिका समिति गौर शिवपुर	बांदा ब्रान्च	215
2		अल्पिका समिति पहाड़पुर	„	413
3		अल्पिका समिति तरखरी	माइनर पहाड़पुर	332

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
4	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	अल्पिका समिति मऊ	बांदा ब्रान्च	435
5		अल्पिका समिति गिरवां	„	2200
6		अल्पिका समिति जमापुर	गिरवां ब्रान्च	230
7		अल्पिका समिति खानपुर	माइनर गिरवा	738
8		अल्पिका समिति सारीपुर	बांदा ब्रान्च	236
9		अल्पिका समिति पतौरा	„	1545
10		अल्पिका समिति तेरा	माइनर पतौरा	257
11		अल्पिका समिति अजीतपुर	बांदा ब्रान्च	883
12		अल्पिका समिति खोही	„	342
13		अल्पिका समिति गढ़ीचांदपुर	„	420
14		अल्पिका समिति जरर	„	210
15		अल्पिका समिति मनीपुर	„	409
16		अल्पिका समिति गन्छा	„	818
17		अल्पिका समिति कहला	माइनर गन्छा	443
18		अल्पिका समिति सुहाना	बांदा ब्रान्च	270
19		अल्पिका समिति तेन्दवारा	बांदा ब्रान्च	371
20		अल्पिका समिति बड़ोखर	माइनर तेन्दवारा	239
21		अल्पिका समिति गुरेह	बांदा ब्रान्च	684
22		अल्पिका समिति बिसरा	माइनर गुरेह	233
23		अल्पिका समिति बांदा नं0—1	बांदा ब्रान्च	628
24		अल्पिका समिति कनवारा	माइनर बांदा नं0—1	953
25		अल्पिका समिति बांदा नं0—2	बांदा ब्रान्च	207
26		अल्पिका समिति पल्हरी	„	172
27		अल्पिका समिति जमनी पुरवा	„	2346
28		अल्पिका समिति कमनौढ़ी	माइनर जमनीपुर	1665
29		अल्पिका समिति मवई नं0—1	बांदा ब्रान्च	161
30		अल्पिका समिति मवई नं0—2	„	217
31		अल्पिका समिति जमालपुर	„	4523
32		अल्पिका समिति बिजरी	माइनर जमालपुर	873
33		अल्पिका समिति प्रेमपुर	राजबहा अलिहा	255
34		अल्पिका समिति बनसखा	„	1739

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
35	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	अल्पिका समिति रहूसत	माइनर बनसखा	568
36		अल्पिका समिति छिबाव	„	636
37		अल्पिका समिति खुरहड़	राजबहा अलिहा	1316
38		अल्पिका समिति शिवहद	„	341
39		अल्पिका समिति सहेवा	„	2699
40		अल्पिका समिति बरसड़ा	माइनर सहेवा	450
41		अल्पिका समिति छनेहरा	„	251
42		अल्पिका समिति नाई	राजबहा अलिहा	1381
43		अल्पिका समिति अजीत पारा	माइनर नाई	237
44		अल्पिका समिति इटरा	„	208
45		अल्पिका समिति बिलगांव	राजबहा अलिहा	466
46		अल्पिका समिति मवई नं0—1	„	194
47		अल्पिका समिति मवई नं0—2	„	740
48		अल्पिका समिति अलिहा	राजबहा अलिहा	358
49		अल्पिका समिति पिस्टा	„	570
50		अल्पिका समिति बाधा पुरवा	राजबहा तेन्दवारी	410
51		अल्पिका समिति निवादा	„	775
52		अल्पिका समिति रेउना	माइनर निवादा	395
53		अल्पिका समिति भरखरी	राजबहा तेन्दवारी	1019
54		अल्पिका समिति करबई	„	429
55		अल्पिका समिति जौरही	राजबहा तेन्दवारी	378
56		अल्पिका समिति बिलवई	„	316
57		अल्पिका समिति जारी	„	206
58		अल्पिका समिति फतपुरवा	„	494
59		अल्पिकासमितिगोधनी	„	1079
60		अल्पिका समिति सेमरा	„	479
61		अल्पिका समिति पिपरगवां	„	928
62		अल्पिकासमितिसेमरी	„	588
63		अल्पिका समिति मुगुस	„	2289
64		अल्पिका समिति भिंडौरा	माइनर मुगुस	759
65		अल्पिका समिति खौड़ा	„	726

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
66	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	अल्पिका समिति गरौती	राजबहा तेन्दवारी	362
67		अल्पिका समिति बहिंगा	„	380
68		अल्पिका समिति तेरही	„	214
69		अल्पिका समिति सोनरही	„	217
70		अल्पिका समिति धौसड़	„	2185
71		अल्पिका समिति भुजरख	माइनर धौसड़	717
72		अल्पिका समिति जसईपुर	राजबहा तेन्दवारी	309
73		अल्पिका समिति माटा	„	404
74		अल्पिका समिति बेंदा	„	409
75		अल्पिका समिति मोतिहारी	राजबहा महुटा	342
76		अल्पिका समिति पल्हरी	„	1078
77		अल्पिका समिति कल्हरा	अतर्रा ब्रान्च	989
78		अल्पिका समिति दुबरी	„	1612
79		अल्पिका समिति चटसरा	दुबरी माइनर	564
80		अल्पिका समिति अन्थुवा	„	485
81		अल्पिका समिति अमृतपुर	अतर्रा ब्रान्च	287
82		अल्पिका समिति गोखिया	„	250
83		अल्पिका समिति गुमाई नं0-1	„	1589
84		अल्पिका समिति गुमाई नं0-2	„	566
85		अल्पिका समिति लुधौरा	„	4200
86		अल्पिका समिति अतर्रा	माइनर लुधौरा	732
87		अल्पिका समिति तुर्रा नं0-1	„	294
88		अल्पिका समिति हस्तम	राजबहा पिण्डखर	1350
89		अल्पिका समिति खम्हौरा	माइनर हस्तम	165
90		अल्पिका समिति कुसमा	राजबहा पिण्डखर	479
91		अल्पिका समिति इटरामलौली	„	496
92		अल्पिका समिति महोतरा	अतर्रा ब्रान्च	510
93		अल्पिका समिति ओरहा	राजबहा बसरेही	560
94		अल्पिका समिति तुर्रा नं0-2	डरहा माइनर	174
95		अल्पिका समिति हड़हामाफी	राजबहा बसरेही	709
96		अल्पिका समिति बदौसा	„	613

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
97	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	अल्पिका समिति लमेहटा	„	671
98		अल्पिका समिति बल्लान	अतर्रा ब्रान्च	1411
99		अल्पिका समिति थनैर	माइनर बल्लान	880
100		अल्पिका समिति पुनाहुर	अतर्रा ब्रान्च	902
101		अल्पिका समिति पवईया	राजबहा बबेरू	916
102		अल्पिका समिति साया	„	417
103		अल्पिका समिति साथी	„	404
104		अल्पिका समिति अण्डौली	„	5055
105		अल्पिका समिति उमरी	राजबहा बबेरू	1605
106		अल्पिका समिति कुर्रम	„	388
107		अल्पिका समिति अछाह	„	429
108		अल्पिका समिति हरदौली	„	2364
109		अल्पिका समिति बबेरू	„	329
110		अल्पिका समिति उतरवां	राजबहा ओरन	1166
111		अल्पिका समिति मझीवा	„	346
112		अल्पिका समिति बाघा	अतर्रा ब्रान्च	938
113		अल्पिका समिति चौसड़	माइनर अतर्रा	1824
114		अल्पिका समिति डभनी	अतर्रा ब्रान्च	444
115		अल्पिका समिति कोरही	„	594
116		अल्पिका समिति घूरी	राजबहा बिसण्डा	482
117		अल्पिका समिति मवई	„	1883
118		अल्पिका समिति कैरी नं0—1	अतर्रा ब्रान्च	1229
119		अल्पिका समिति कैरी नं0—2	माइनर कैरी	206
120		अल्पिका समिति भदावल	राजबहा ओरन	490
121		अल्पिका समिति बेल्लदान	राजबहा कमासिन	505
122		अल्पिका समिति परसौली	„	397
123		अल्पिका समिति अन्दौरा	„	1021
124		अल्पिका समिति ममसी	माइनर अन्दौरा	558
125		अल्पिका समिति खरौली	राजबहा कमासिन	1038
126		अल्पिका समिति लाखीपुर	„	476
127		अल्पिका समिति बन्थरी	„	465

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
128	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	अल्पिका समिति अमलोखर	„	1140
129		अल्पिका समिति पन्नाह	राजबहा वीरा	488
130		अल्पिका समिति खमरखा	राजबहा कमासिन	440
131		अल्पिका समितिजरोहरा	राजबहा भीटी	340
132		अल्पिका समिति शाहपुर	„	532
133		अल्पिका समिति मरौली	„	506
134		अल्पिका समिति अमलोहरा	„	405
135		अल्पिका समिति बिसण्डी	„	572
136		अल्पिका समिति जामू	„	2899
137		अल्पिका समिति रांछा	माइनर जामू	317
138		अल्पिका समिति गौरी खानपुर	राजबहा बबेरू	252
139		अल्पिका समिति भदवारी	„	831
140		अल्पिका समिति मन्टा	„	514
141		अल्पिका समिति औगासी	„	479
142		अल्पिका समिति बाकल	„	371
143		अल्पिका समिति रिसौरा	बांदा ब्रान्च	182
144		अल्पिका समिति पचोखर	अतर्रा ब्रान्च	288
145		अल्पिका समिति गुजैनी	राजबहा अधायु	1073
146		अल्पिका समिति भभुआ	माइनर गुजैनी	736
147		अल्पिका समिति अरमार	राजबहा अधायु	692
148		अल्पिका समिति कुम्हेड़ा	राजबहा सांडा	501
149		अल्पिका समिति कलाना	„	1123
150		अल्पिका समिति मिर्जापुर	„	451
151		अल्पिका समिति मऊ	„	395
152		अल्पिका समिति इंगुवा	„	1379

टिप्पणी—उक्त अल्पिका समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, केन प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सक्षम नहर अधिकारी,
एवं अवर अभियन्ता,
केन नहर प्रखण्ड, बांदा।

सं0 1274/के0न0प्र0/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले निम्नलिखित राजबहा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

क्र० सं०	खण्ड का नाम	अल्पिका समिति का नाम	पैतृक नहर का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा समिति अलोना	बांदा ब्रान्च	942
2		राजबहा समिति अलिहा	„	7428
3		राजबहा समिति तेन्दवारी	„	9937
4		राजबहा समिति महुटा	अतर्रा ब्रान्च	5516
5		राजबहा समिति पिण्डखर	टतरा ब्रान्च	4366
6		राजबहा समिति बसरेही	अतर्रा ब्रान्च	4012
7		राजबहा समिति बबेरू	„	8800
8		राजबहा समिति बिसण्डा	„	4863
9		राजबहा समिति आरेन	„	6889
10		राजबहा समिति भीती	„	4213
11		राजबहा समिति कमासिन	„	10733
12		राजबहा समिति वीरा	राजबहा कमासिन	5318
13		राजबहा अधायु	(यमुना पम्प कैनाल) औगासी मुख्य नहर	2257
14		राजबहा सांडा	„	2515

टिप्पणी :—उक्त राजबहा समितियों के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

सक्षम नहर अधिकारी,
एवं अवर अभियन्ता,
केन नहर प्रखण्ड, बांदा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**केन नहर प्रखण्ड, बांदा****कार्यालय ज्ञाप****माइनर गौर शिवपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना**

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गौर शिवपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गौर शिवपुर	1	15
			2	11
			3	27
			4	10
			5	34
			6	118
			योग ...	215

टिप्पणी:— उक्त **माइनर गौर शिवपुर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पहाड़पुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर पहाड़पुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पहाड़पुर	1	21
			1अ	24
			2	45
			3	30
			4	82
			5	46
			6	45
			7	31
			8	1
			9	88
			योग ...	413

टिप्पणी:— उक्त माइनर पहाड़पुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर तरखरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर तरखरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर तरखरी	1	16
			2	24
			3	31
			4	20

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर तरखरी	5	27
			6	30
			7	184
			योग ...	332

टिप्पणी:— उक्त माइनर तरखरी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मऊ के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मऊ के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मऊ	1	17
			2	27
			3	31
			4	16
			5	55
			6	18
			7	29
			8	33
			9	32
			10	60
			11	15
			12	21
			13	11
			14	70
			योग ...	435

टिप्पणी:— उक्त माइनर मऊ की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गिरवां के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गिरवां** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गिरवां	1	42
			1अ	8
			2	60
			3	58
			4	37
			4अ	43
			5	69
			6	74
			7	100
			8	99
			8अ	22
			9	79
			9अ	15
			10	93
			10अ	40
			11	72
			12	70
			13	42
			14	43
			15	42
			16	200
			17	60
			18	61
			20	35
			21	65

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गिरवां	22	100
			23	60
			24	29
			25	30
			26	65
			27	46
			28	56
			29	45
			30	240
			योग ...	2200

टिप्पणी:— उक्त माइनर गिरवां की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जमापुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर जमापुर के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जमापुर	1	35
			2	10
			3	56
			4	10
			5	11
			6	20
			7	88
			योग ...	230

टिप्पणी:— उक्त माइनर जमापुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर खानपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर खानपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर खानपुर	1	18
			2	40
			3	15
			4	50
			5	48
			6	33
			7	250
			8	150
			9	50
			10	60
			11	4
			12	20
			योग ...	738

टिप्पणी:- उक्त **माइनर खानपुर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर सारीपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर सारीपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर सारीपुर	1	16
			2	23
			3	33
			4	164
			योग ...	236

टिप्पणी:— उक्त माइनर सारीपुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पतौरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर पतौरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पतौरा	1	33
			2	107
			3	37
			4	60
			5	36
			6	36

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पतौरा	7	60
			8	39
			9	26
			10	47
			11	43
			12	34
			13	51
			14	30
			15	32
			16	30
			17	217
			18	45
			19	12
			20	16
			21	11
			22	66
			23	72
			24	22
			25	37
			26	59
			27	40
			28	120
			29	40
			30	87
			योग ...	1545

टिप्पणी:— उक्त माइनर पतौरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर तेरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर तेरा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर तेरा	1	21
			2	20
			3	45
			4	17
			5	60
			6	45
			7	49
			योग ...	257

टिप्पणी:— उक्त **माइनर तेरा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अजीतपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर अजीतपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अजीतपुर	1	28
			2	60
			3	11
			4	24
			5	41
			5अ	97
			6	71
			7	49
			8	43
			9	68
			10	45
			11	16
			12	121
			13	19
			14	12
			15	23
			16	28
			17	21
			18	10
			19	10
			20	86
			योग ...	883

टिप्पणी:— उक्त माइनर अजीतपुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर खोही के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर खोही** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर खोही	1	5
			2	6
			3	24
			4	17
			5	31
			6	30
			7	53
			8	17
			9	34
			10	19
			11	106
			योग ...	342

टिप्पणी:- उक्त **माइनर खोही** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गढ़ीचांदपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गढ़ीचांदपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गढ़ीचांदपुर	1	54
			2	47
			3	49
			4	36
			5	39
			6	30
			7	50
			8	28
			9	28
			10	9
			11	25
			12	10
			13	15
			योग ...	420

टिप्पणी:— उक्त माइनर गढ़ीचांदपुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जरर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर जरर के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जरर	1	20
			2	50
			3	63
			4	77
			योग ...	210

टिप्पणी :- उक्त माइनर जरर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मनीपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मनीपुर के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मनीपुर	1	30
			2	20
			3	70
			4	23
			5	30
			6	30
			7	25
			8	24
			9	65
			10	32
			11	60
			योग ...	409

टिप्पणी:- उक्त माइनर मनीपुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गन्छा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गन्छा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गन्छा	1	41
			2	33
			2अ	22
			3	81
			4	83
			4अ	23
			5	19
			6	8
			6अ	18
			7	174
			8	11
			9	19
			10	13
			11	17
			12	15
			13	20
			14	19
			15	202
			योग ...	818

टिप्पणी:— उक्त **माइनर गन्छा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कहला के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर कहला** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कहला	1	28
			2	33
			3	35
			4	80
			5	30
			6	40
			7	40
			8	22
			9	40
			10	45
			11	50
			योग ...	443

टिप्पणी:- उक्त **माइनर कहला** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर सुहाना के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर सुहाना** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर सुहाना	1	28
			2	29
			3	39
			4	39
			5	32
			6	35
			7	68
			योग ...	270

टिप्पणी:— उक्त माइनर सुहाना की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर तेन्दवारा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर तेन्दवारा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर तेन्दवारा	1	16
			2	34
			3	29
			3अ	32
			4	56
			5	33
			6	76
			7	95
			योग ...	371

टिप्पणी:— उक्त माइनर तेन्दवारा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बडोखर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बडोखर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बडोखर	1	6
			2	7
			2अ	40
			3	33
			3अ	22
			4अ	31
			5	100
			योग ...	239

टिप्पणी:- उक्त **माइनर बडोखर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गुरेह के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गुरेह** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गुरेह	1	12
			2	20

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गुरेह	3	9
			4	35
			5	22
			6	29
			7	15
			8	90
			9	8
			10	100
			11	160
			12	14
			13	170
			योग ...	684

टिप्पणी:— उक्त माइनर गुरेह की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बिसरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर बिसरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बिसरा	1	6
			2	81
			3	12
			4	134
			योग ...	233

टिप्पणी:— उक्त माइनर बिसरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बांदा नं0-1 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बांदा नं0-1** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बांदा नं0-1	1	20
			2	22
			3	14
			4	18
			5	8
			5अ	35
			7	120
			8	100
			8अ	20
			9	14
			10	100
			11	18
			12	30
			13	23
			14	24
			15	30
			16	22
			17	10
			योग ...	628

टिप्पणी:- उक्त **माइनर बांदा नं0-1** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कनवारा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर कनवारा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कनवारा	1	95
			2	84
			3	76
			4	142
			5	68
			6	22
			7	82
			8	36
			9	87
			10	83
			11	46
			12	34
			13	98
			योग ...	953

टिप्पणी :- उक्त **माइनर कनवारा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बांदा नं0-2 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बांदा नं0-2** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बांदा नं०-2	1	10
			1अ	5
			2	7
			3	20
			4	60
			5	105
			योग ...	207

टिप्पणी :- उक्त माइनर बांदा नं०-2 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पल्हारी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर पल्हारी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पल्हारी	1	15
			1अ	10
			1ब	7
			2	30
			3	110
			योग ...	172

टिप्पणी :- उक्त माइनर पल्हारी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जमनीपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा- उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर जमनीपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जमनीपुर	1	62
			2	100
			3	69
			4	71
			5	114
			6	69
			7	90
			9	97
			10	74
			11	100
			12	90
			13	100
			14	105
			15	96
			15अ	140
			16	90
			17	80
			18	83
			19	90
			20	82
			21	84
			22	130
			23	150
			24	80
			25	100
			योग ...	2346

टिप्पणी :- उक्त **माइनर जमनीपुर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कमनौढ़ी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर कमनौढ़ी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कमनौढ़ी	1	58
			2	268
			3	197
			4	99
			5	55
			6	108
			7	50
			8	97
			9	115
			10	117
			11	136
			12	126
			13	64
			14	175
			योग ...	1665

टिप्पणी :- उक्त **माइनर कमनौढ़ी** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मवई नं0-1 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर मवई नं0-1** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मवई नं०-1	1	23
			1अ	12
			2	10
			2अ	10
			3	26
			4	80
			योग ...	161

टिप्पणी :- उक्त माइनर मवई नं०-1 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मवई नं०-2 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मवई नं०-2 के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मवई नं०-2	1	23
			2	18
			3	17
			4	48
			5	23
			6	45
			7	13
			8	30
			योग ...	217

टिप्पणी :- उक्त माइनर मवई नं०-2 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जमालपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर जमालपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जमालपुर	1	126
			2	19
			3	54
			4	56
			5	199
			6	73
			7	131
			8	166
			9	118
			9अ	31
			10	175
			11	204
			13	241
			14	316
			15	232
			16	48
			18	2
			19	84

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जमालपुर	20	208
			21	138
			22	79
			23	108
			24	115
			25	66
			26	142
			27	150
			29	150
			30	313
			31	67
			32	137
			33	123
			34	138
			35	83
			36	135
			37	48
			38	48
योग ...				4523

टिप्पणी :- उक्त माइनर जमालपुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बिजरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर बिजरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बिजरी	1	55
			1अ	30
			1ब	35
			2	140
			3	155
			4	77
			5	30
			6	66
			7	35
			8	100
			9	150
			योग ...	873

टिप्पणी :- उक्त माइनर बिजरी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर प्रेमपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर प्रेमपुर के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर प्रेमपुर	1	11
			2	11
			3	20

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर प्रेमपुर	4	30
			5	43
			6	20
			7	120
			योग ...	255

टिप्पणी :- उक्त माइनर प्रेमपुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बनसखा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर बनसखा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बनसखा	1	29
			2	32
			3	53
			4	24
			5	53
			6	167
			7	38
			8	62
			9	40
			10	46
			11	42
			12	26

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बनसखा	12अ	26
			13	60
			14	36
			15	33
			16	54
			17	82
			18	47
			19	64
			20	34
			21	32
			22	61
			22अ	37
			23	52
			24	55
			26	50
			27	37
			28	67
			29	45
			30	47
			31	56
			32	45
			33	23
			34	44
			34अ	40
			योग ...	1739

टिप्पणी :- उक्त **माइनर बनसखा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर रहसत के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर रहसत** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर रहूसत	1	60
			1अ	70
			2	35
			3	28
			3अ	20
			4	37
			5	53
			5अ	67
			6	64
			7	134
			योग ...	568

टिप्पणी :- उक्त माइनर रहूसत की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर छिबाव के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर छिबाव के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर छिबाव	1	40
			2	45

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर छिबाव	3	17
			3अ	31
			3ब	25
			4	20
			5	28
			5अ	14
			6	14
			6अ	20
			7	60
			7अ	100
			8	20
			9	60
			10	26
			11	18
			12	40
			13	28
			14	30
			योग ...	636

टिप्पणी :- उक्त माइनर छिबाव की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर खुरहड़ के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर खुरहड़ के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर खुरहड़	2	70
			3अ	85

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर खुरहड़	3ब	44
			3सी	45
			4अ	30
			5	32
			6	76
			6अ	24
			7	121
			8अ	37
			8ब	25
			9	40
			10	35
			11	63
			12	38
			13	60
			14	40
			15	72
			17	80
			17अ	36
			18	21
			18अ	11
			19	100
			20	32
			21	29
			22	16
			23	19
			24	35
			योग ...	1316

टिप्पणी :- उक्त माइनर खुरहड़ की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर शिवहद के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर शिवहद** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर शिवहद	1	55
			1अ	16
			2	55
			2अ	14
			3	15
			3अ	35
			4	30
			5	31
			6	19
			7	20
			8	16
			9	35
			योग ...	341

टिप्पणी :- उक्त **माइनर शिवहद** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर सहेवा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर सहेवा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर सहेवा	1	100
			2	100
			3	30
			3अ	50
			4	50
			5	45
			5अ	41
			6	200
			7	60
			8	100
			9	50
			9अ	100
			10	50
			11	34
			11अ	35
			12	40
			12अ	50
			13	40
			13अ	34
			14	70
			14अ	26
			14ब	30
			15	70
			16	30
			16अ	50
			17	60

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर सहेवा	17अ	44
			18	34
			19	40
			20	30
			20अ	50
			21	50
			22	100
			22अ	110
			23	50
			23अ	70
			23ब	60
			24	34
			25	100
			25अ	60
			26	100
			27	50
			28	40
			29	50
			30	82
योग ...				2699

टिप्पणी :- उक्त माइनर सहेवा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बरसड़ा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर बरसड़ा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बरसड़ा	1	80
			2	36
			3	29
			4	50
			5	38
			6	35
			7	139
			8	43
			योग ...	450

टिप्पणी :- उक्त माइनर बरसड़ा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर छनेहरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर छनेहरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर छनेहरा	1	18
			2	16

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर छनेहरा	3	18
			4	28
			5	20
			6	15
			7	18
			8	16
			9	18
			10	14
			11	40
			12	30
			योग ...	251

टिप्पणी :- उक्त माइनर छनेहरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर नाई के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर नाई के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर नाई	1	13
			2	50
			3	59
			4	55
			5	80
			6	54
			7	66

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर नाई	8	50
			9	55
			10	80
			11	50
			12	43
			13	85
			14	40
			15	30
			15अ	22
			16	20
			16अ	26
			17	25
			18	20
			18अ	16
			19	22
			20	25
			21	20
			22	12
			23	20
			24	22
			25	11
			25अ	20
			26	15
			27	25
			28	20
			29	30
			30	30
			31	20
			32	10
			33	50
			34	30
			35	30
			36	30
			योग ...	1381

टिप्पणी :- उक्त माइनर नाई की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अजीतपारा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर अजीतपारा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अजीतपारा	1	46
			2	36
			3	33
			4	25
			5	35
			6	62
			योग ...	237

टिप्पणी :- उक्त **माइनर अजीतपारा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर इटरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर इटरा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर इटरा	1	25
			2	47
			3	136
			योग ...	208

टिप्पणी :- उक्त **माइनर इटरा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बिलगांव के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बिलगांव** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बिलगांव	1	91
			2	51
			3	75
			4	53
			5	50
			6	53
			7	34
			8	30
			9	29
			योग ...	466

टिप्पणी :- उक्त **माइनर बिलगांव** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मवई नं0-1 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर मवई नं0-1** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मवई नं0-1	1	27
			2	19

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मवई नं0-1	3	21
			4	42
			5	28
			6	27
			7	30
			योग ...	194

टिप्पणी :- उक्त माइनर मवई नं0-1 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मवई नं0-2 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मवई नं0-2 के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मवई नं0-2	1	50
			1अ	40
			2	55
			3	39
			4	43
			5	60
			6	63
			7	70
			8	100
			9	130
			10	90
			योग ...	740

टिप्पणी :- उक्त माइनर मवई नं0-2 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अलिहा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर अलिहा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अलिहा	1	41
			2	28
			3	28
			4	21
			5	15
			6	27
			7	198
			योग ...	358

टिप्पणी :- उक्त **माइनर अलिहा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पिस्टा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर पिस्टा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पिस्टा	1	95
			2	28
			3	57
			4	131

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पिस्टा	5	15
			6	34
			7	36
			8	65
			9	10
			10	42
			11	35
			12	10
			13	12
			योग ...	570

टिप्पणी :- उक्त माइनर पिस्टा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बांधापुरवा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर बांधापुरवा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बांधापुरवा	1	27
			1अ	42
			1ब	10
			2	38
			3	33
			3अ	20
			4	80
			5	46
			6	47
			7	67
			योग ...	410

टिप्पणी :- उक्त माइनर बांधापुरवा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर निवादा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर निवादा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर निवादा	1	35
			2	10
			4	59
			6	28
			8	110
			9	36
			10	84
			11	45
			14	25
			15	25
			16	16
			16अ	17
			17	27
			19	16
			20	6
			21	236
			योग ...	775

टिप्पणी :- उक्त **माइनर निवादा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर रेउना के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर रेउना** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर रेउना	1	40
			2	35
			3	50
			4	40
			5	60
			6	60
			7	11
			8	20
			9	15
			10	18
			11	19
			12	17
			13	10
			योग ...	395

टिप्पणी :- उक्त माइनर रेउना की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर भरखरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर भरखरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर भरखरी	3	52
			4	104
			5	103

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर भरखरी	6	61
			9	60
			10	66
			11	50
			12	80
			13	145
			15	70
			16	110
			17	68
			18	50
			योग ...	1019

टिप्पणी :- उक्त **माइनर भरखरी** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर करबई के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर करबई** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर करबई	1	92
			2	64
			3	90
			4	48
			5	30
			6	105
			योग ...	429

टिप्पणी :- उक्त **माइनर करबई** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जौरही के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर जौरही** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जौरही	1	60
			2	43
			3	50
			4	65
			5	55
			6	35
			7	34
			8	36
			योग ...	378

टिप्पणी :- उक्त **माइनर जौरही** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बिलवई के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा- उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बिलवई** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बिलवई	1	45
			1अ	9

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बिलवई	2	30
			3	35
			3अ	14
			3ब	15
			4	25
			4अ	18
			5	30
			6	50
			7	25
			8	20
			योग ...	316

टिप्पणी :- उक्त **माइनर बिलवई** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जारी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा- उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर जारी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जारी	1	44
			1अ	33
			2	80
			2अ	34
			3	15
			योग ...	206

टिप्पणी :- उक्त **माइनर जारी** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर फतपुरवा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर फतपुरवा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर फतपुरवा	1	50
			2	35
			3	30
			4	38
			4अ	30
			5	40
			6	30
			6अ	26
			7	40
			7अ	30
			8	30
			9	30
			10	45
			11	40
			योग ...	494

टिप्पणी :— उक्त **माइनर फतपुरवा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गोधनी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गोधनी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का
			कुलाबा समिति	क्षेत्रफल
			कुलाबा संख्या	सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गोधनी	1	50
			2	60
			3	45
			4	150
			5	100
			6	50
			7	119
			8	30
			9	100
			10	95
			11	85
			12	75
			13	65
			14	40
			15	15
			योग ...	1079

टिप्पणी :- उक्त माइनर गोधनी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर सेमरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर सेमरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर सेमरा	1	39
			2	50
			3	37
			4	110
			5	46
			6	80
			7	34
			8	20
			9	18
			10	20
			11	25
			योग ...	479

टिप्पणी :- उक्त माइनर सेमरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पिपरगवां के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर पिपरगवां के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पिपरगवां	1	84
			2	89
			3	80

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पिपरगवां	4	65
			5	65
			6	87
			7	65
			8	50
			9	55
			10	73
			11	74
			12	65
			13	41
			14	35
			योग ...	928

टिप्पणी :- उक्त माइनर पिपरगवां की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर सेमरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर सेमरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर सेमरी	1	45
			2	20
			3	44
			4	23
			5	64
			6	35
			7	45

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर सेमरी	8	45
			9	61
			10	15
			11	191
			योग ...	588

टिप्पणी :- उक्त माइनर सेमरी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मुगुस के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मुगुस के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मुगुस	1	30
			2	40
			3	32
			4	34
			5	44
			6	146
			7	31
			8	39
			9	38
			10	51
			11	108
			12	80

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मुगुस	13	106
			14	30
			15	103
			16	50
			17	38
			18	44
			19	14
			20	134
			21	57
			22	57
			23	131
			24	131
			25	79
			28	70
			29	21
			30	26
			31	87
			32	42
			33	37
			34	40
			35	50
			36	38
			37	44
			38	38
			39	30
			40	35
			41	40
			42	44
योग ...				2289

टिप्पणी :- उक्त माइनर मुगुस की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर भिंडौरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर भिंडौरा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का
			कुलाबा समिति	क्षेत्रफल
			कुलाबा संख्या	सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर भिंडौरा	1	90
			2	85
			3	70
			4	77
			5	76
			6	79
			7	78
			8	50
			9	76
			10	78
			योग ...	759

टिप्पणी :— उक्त **माइनर भिंडौरा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर खौड़ा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर खौड़ा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर खौड़ा	1	143
			2	109
			3	66
			4	142
			5	50
			6	30
			7	60
			8	73
			9	53
			योग ...	726

टिप्पणी :- उक्त माइनर खौड़ा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गरौती के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर गरौती के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गरौती	1	21
			2	41

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गरौती	3	183
			4	67
			5	30
			6	20
			योग ...	362

टिप्पणी :- उक्त माइनर गरौती की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बहिंगा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर बहिंगा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बहिंगा	1	40
			2	50
			3	90
			4	30
			5	15
			6	25
			7	65
			8	65
			योग ...	380

टिप्पणी :- उक्त माइनर बहिंगा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर तेहरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर तेहरी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का
			कुलाबा समिति	क्षेत्रफल
			कुलाबा संख्या	सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर तेहरी	1	15
			2	13
			3	11
			4	24
			5	13
			6	20
			7	18
			8	25
			9	18
			10	25
			11	15
			12	17
			योग ...	214

टिप्पणी :— उक्त **माइनर तेहरी** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर सोनरही के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर सोनरही** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर सोनरही	1	40
			1अ	10
			2	21
			3	30
			4	33
			5	35
			6	16
			7	32
			योग ...	217

टिप्पणी :- उक्त माइनर सोनरही की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर धौसड़ के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर धौसड़ के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर धौसड़	1	116
			2	123
			3	178
			4	128
			5	122
			6	108
			7	115

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर धौसड़	8	100
			9	107
			10	144
			11	240
			12	146
			13	126
			14	200
			15	232
			योग ...	2185

टिप्पणी :- उक्त माइनर धौसड़ की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर भुजरख के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर भुजरख के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर भुजरख	1	28
			2	40
			3	57
			4	24
			5	57
			6	39
			7	72
			8	200
			9	200
			योग ...	717

टिप्पणी :- उक्त माइनर भुजरख की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जसईपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर जसईपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जसईपुर	1	97
			2	26
			3	186
			योग ...	309

टिप्पणी :- उक्त **माइनर जसईपुर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर माटा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर माटा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर माटा	1	130
			2	55
			3	110
			4	34
			5	30
			6	11
			7	34
			योग ...	404

टिप्पणी :- उक्त **माइनर माटा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बेंदा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बेंदा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का
			कुलाबा समिति	क्षेत्रफल
			कुलाबा संख्या	सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बेंदा	1	17
			2	12
			3	19
			4	16
			5	50
			6	19
			7	100
			8	36
			9	140
			योग ...	409

टिप्पणी :— उक्त **माइनर बेंदा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मोतिहारी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर मोतिहारी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
			कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मोतिहारी	1	12
			2	11
			3	11
			4	11
			5	17
			6	53
			7	16
			8	5
			9	25
			10	18
			11	163
			योग ...	342

टिप्पणी :- उक्त माइनर मोतिहारी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पल्हरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर पल्हरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पल्हरी	1	68
			2	28
			3	99
			4	59
			5	55
			6	47
			7	88
			8	74
			9	101
			10	209
			11	250
			योग ...	1078

टिप्पणी :- उक्त माइनर पल्हरी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कल्हरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर कल्हरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कल्हरा	1	38
			2	69
			3	41

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कल्हरा	4	45
			5	20
			6	87
			7	23
			8	25
			9	65
			10	37
			11	45
			12	44
			12अ	40
			13	15
			14	61
			15	62
			16	159
			17	113
			योग ...	989

टिप्पणी :- उक्त माइनर कल्हरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर दुबरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर दुबरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर दुबरी	1	42
			2	22

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर दुबरी	3	78
			4	24
			5	43
			6	98
			6अ	53
			7	29
			8	27
			9	26
			10	26
			11	61
			12	33
			13	71
			14	58
			15	78
			16	78
			17	99
			18	36
			19	100
			20	52
			20अ	97
			21	15
			22	75
			25	90
			26	46
			27	20
			28	39
			29	60
			30	36
			योग ...	1612

टिप्पणी :- उक्त माइनर दुबरी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर चटसरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर चटसरा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का
			कुलाबा समिति	क्षेत्रफल
			कुलाबा संख्या	सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर चटसरा	1	53
			2	35
			3	35
			4	38
			5	30
			6	32
			7	50
			8	42
			9	44
			10	54
			11	48
			12	103
			योग ...	564

टिप्पणी :— उक्त **माइनर चटसरा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अन्थुवा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर अन्थुवा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अन्थुवा	1	114
			1अ	35
			2	37
			3	70
			4	75
			5	19
			6	135
			योग ...	485

टिप्पणी :- उक्त **माइनर अन्थुवा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अमृतपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर अमृतपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अमृतपुर	1	287

टिप्पणी :- उक्त **माइनर अमृतपुर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गोखिया के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गोखिया** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गोखिया	1	32
			2	22
			3	79
			4	30
			5	36
			6	18
			7	14
			8	19
			योग ...	250

टिप्पणी :- उक्त **माइनर गोखिया** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गुमाई नं0-1 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा—उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गुमाई नं0-1** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गुमाई नं0-1	1	61
			2	24

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गुमाई नं०-1	2अ	26
			3	62
			4	44
			5	200
			6	29
			7	74
			8	46
			9	43
			10	80
			11	52
			12	66
			13	240
			14	30
			15	70
			16	54
			17	80
			18	78
			19	230
			योग ...	1589

टिप्पणी :- उक्त माइनर गुमाई नं०-1 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गुमाई नं०-2 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर गुमाई नं०-2 के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गुमाई नं०-2	1	15
			2	33
			3	47
			4	19
			5	61
			6	55
			7	52
			8	42
			8अ	23
			9	13
			10	16
			11	190
			योग ...	566

टिप्पणी :- उक्त माइनर गुमाई नं०-2 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर लुधौरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर लुधौरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर लुधौरा	1	150
			2	100

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर लुधौरा	3	180
			4	100
			6	180
			7	148
			7अ	100
			8	56
			10	47
			10अ	150
			11	100
			12	150
			13ब	180
			13अ	200
			13	100
			14	250
			15	100
			16	250
			17	250
			18	200
			19	200
			20	150
			21	120
			22	150
			23	339
			24	250
			योग ...	4200

टिप्पणी :- उक्त माइनर लुधौरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अतर्रा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर अतर्रा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल
			कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अतर्रा	1	49
			3	26
			4	102
			5	25
			6	61
			7	73
			8	30
			9	43
			10	41
			11	30
			12	39
			13	213
			योग ...	732

टिप्पणी :- उक्त **माइनर अतर्रा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर तुरा नं0-1 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर तुरा नं0-1** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर तुरा नं0-1	1	25
			2	56
			3	213
			योग ...	294

टिप्पणी :- उक्त **माइनर तुरा नं0-1** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर हस्तम के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा-उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर हस्तम** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर हस्तम	2	28
			3	22
			4	25
			4अ	19

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर हस्तम	5	80
			6	60
			7	36
			8	58
			9	54
			10	40
			11	42
			12	42
			12अ	20
			13	62
			13अ	16
			14	56
			15	48
			16	49
			17	39
			18	59
			19	125
			20	62
			21	69
			23	69
			24	170
			योग ...	1350

टिप्पणी :- उक्त माइनर हस्तम की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर खम्हौरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर खम्हौरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर खम्हौरा	1	44
			2	45
			3	30
			4	46
			योग ...	165

टिप्पणी :- उक्त माइनर खम्हौरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कुसमा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर कुसमा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कुसमा	1	30
			1अ	50
			2	89
			3	50
			4	80
			5	180
			योग ...	479

टिप्पणी :- उक्त माइनर कुसमा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर इटरामलौली के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर इटरामलौली** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम	परिचालन क्षेत्र का
			कुलाबा समिति	क्षेत्रफल
			कुलाबा संख्या	सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर इटरामलौली	1	80
			2	110
			3	35
			4	55
			5	42
			6	38
			7	35
			8	25
			9	25
			10	51
			योग ...	496

टिप्पणी :— उक्त **माइनर इटरामलौली** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर महोतरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर महोतरा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर महोतरा	1	75
			2	17
			3	40
			4	30
			5	90
			6	50
			7	35
			8	32
			9	8
			10	53
			11	80
			योग ...	50

टिप्पणी :- उक्त माइनर महोतरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर ओरहा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर ओरहा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर ओरहा	1	34
			2	30
			3	48

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर ओरहा	4	37
			5	29
			6	53
			7	25
			8	46
			9	58
			10	80
			11	120
			योग ...	560

टिप्पणी :- उक्त माइनर ओरहा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर तुरा नं0-2 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा- उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर तुरा नं0-2 के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर तुरा नं0-2	1	174
			योग ...	174

टिप्पणी :- उक्त माइनर तुरा नं0-2 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर हड़हामाफी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा- उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर हड़हामाफी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर हड़हामाफी	1	23
			2	15
			3	12
			4	139
			5	65
			6	33
			7	131
			8	291
			योग ...	709

टिप्पणी :- उक्त माइनर हड़हामाफी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बदौसा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा- उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर बदौसा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बदौसा	1	60
			2	36
			3	32
			4	20
			5	68
			6	397
			योग ...	613

टिप्पणी :- उक्त माइनर बदौसा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर लमेहटा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर लमेहटा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर लमेहटा	1	20
			2	16
			3	17
			4	21
			5	20
			6	77
			7	52
			8	448
			योग ...	671

टिप्पणी :- उक्त **माइनर लमेहटा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बल्लान के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बल्लान** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बल्लान	1	77

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बल्लान	2	8
			3	45
			3अ	38
			4	32
			4अ	29
			4ब	23
			5	35
			6	30
			7	11
			8	40
			9	53
			9अ	59
			10	25
			11	44
			12	30
			13	64
			14	72
			15	45
			16	60
			17	27
			18	36
			19	57
			20	30
			21	46
			22	16
			23	38
			24	47
			25	32
			26	19
			27	45
			28	198
			योग ...	1411

टिप्पणी :- उक्त माइनर बल्लान की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर थनैर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर थनैर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर थनैर	1	30
			2	58
			3	86
			4	13
			5	55
			6	50
			7	11
			8	83
			9	43
			10	42
			11	50
			12	33
			13	61
			14	265
			योग ...	880

टिप्पणी :- उक्त **माइनर थनैर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पुनाहुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर पुनाहुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पुनाहुर	1	144
			1अ	34
			2	50
			3	208
			4	130
			5	93
			6	40
			7	38
			8	38
			9	87
			10	40
			योग ...	902

टिप्पणी :- उक्त माइनर पुनाहुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पवईया के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर पवईया के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पवईया	1	50
			2	70
			3	70

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पवईया	3अ	47
			4	55
			4अ	22
			3ब	50
			5	34
			6	50
			7	40
			8	90
			9	35
			10	38
			11	40
			11अ	32
			12	24
			13	79
			14	54
			15	36
			योग ...	916

टिप्पणी :- उक्त माइनर पवईया की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर साया के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर साया के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर साया	1	50
			2	60

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर साया	3	70
			4	80
			5	110
			6	47
			योग ...	417

टिप्पणी :- उक्त माइनर साया की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर साथी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर साथी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर साथी	1	80
			2	55
			3	38
			4	35
			5	50
			6	146
			योग ...	404

टिप्पणी :- उक्त माइनर साथी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अण्डौली के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर अण्डौली के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अण्डौली	1	46
			2	120
			3	74
			4	54
			5	97
			6	88
			7	99
			8	150
			9	66
			10	53
			11	150
			12	80
			13	100
			14	95
			15	130
			16	100
			17	84
			18	127
			19	130
			20	90
			21	80
			22	24
			23	81
			24	150
			25	217
			26	130
			27	250
			28	233
			29	150

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अण्डौली	30	95
			31	280
			32	200
			33	132
			34	50
			35	100
			36	100
			37	200
			38	110
			39	120
			40	120
			41	100
			42	200
			योग ...	5055

टिप्पणी :- उक्त माइनर अण्डौली की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर उमरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर उमरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर उमरी	1	100
			2	80
			3	60
			4	80
			5	42

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर उमरी	5अ	51
			6	80
			7	45
			8	50
			9	70
			10	50
			11	50
			12	80
			13	41
			14	55
			15	35
			16	40
			17	55
			18	37
			19	45
			20	84
			21	67
			22	37
			23	32
			24	35
			25	24
			26	50
			27	80
			28	50
			योग ...	1605

टिप्पणी :- उक्त माइनर उमरी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कुर्रम के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर कुर्रम के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कुरम	1	35
			2	25
			3	22
			4	51
			5	114
			6	100
			7	16
			8	25
			योग ...	388

टिप्पणी :- उक्त माइनर कुरम की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अछाह के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर अछाह के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अछाह	1	35
			2	100
			3	25
			4	44
			5	25
			6	24

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अछाह	7	15
			8	22
			9	25
			10	15
			11	15
			12	12
			13	20
			14	15
			15	15
			16	22
			योग ...	429

टिप्पणी :- उक्त माइनर अछाह की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर हरदौली के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर हरदौली के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर हरदौली	1	81
			2	120
			3	49
			4	120
			5	145
			6	150
			7	254

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर हरदौली	8	70
			8अ	129
			9	150
			9अ	75
			10	100
			11	95
			12	80
			13	75
			14	65
			15	60
			16	60
			17	28
			18	32
			19	24
			20	50
			21	75
			22	80
			23	45
			24	70
			25	25
			26	22
			27	35
			योग ...	2364

टिप्पणी :- उक्त **माइनर हरदौली** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बबेरू के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बबेरू** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बबेरू	1	100
			2	69
			3	160
			योग ...	329

टिप्पणी :- उक्त माइनर बबेरू की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर उतरवां के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर उतरवां के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर उतरवां	1	162
			2	49
			3	11
			4	15
			5	153
			6	187
			7	10
			8	13

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर उत्तरवां	9	33
			10	98
			11	43
			12	382
			13	10
			योग ...	1166

टिप्पणी :— उक्त माइनर उत्तरवां की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मंज़ीवा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मंज़ीवा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मंज़ीवा	1	75
			2	65
			3	52
			4	30
			5	35
			6	42
			7	47
			योग ...	346

टिप्पणी :— उक्त माइनर मंज़ीवा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बाघा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बाघा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बाघा	1	17
			2	52
			3	107
			3अ	48
			4	146
			5	32
			5अ	66
			6	27
			7	31
			8	21
			9	61
			9अ	21
			10	92
			11	126
			12	91
			योग ...	938

टिप्पणी :- उक्त **माइनर बाघा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर चौसड़ के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर चौसड़** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर चौसड़	1	18
			2	35
			2अ	21
			3	46
			4	42
			4अ	33
			5	55
			6	56
			7	27
			8	76
			9	75
			10	62
			11	66
			12	54
			13	53
			14	58
			15	125
			16	38
			17	82
			17अ	38
			18	93
			19	50
			20	90
			21	45
			22	25
			23	219
			24	28
			25	35
			26	64
			27	115
			योग ...	1824

टिप्पणी :- उक्त माइनर चौसड़ की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर डभनी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर डभनी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर डभनी	1	50
			1अ	41
			2	50
			3	55
			4	75
			5	68
			6	55
			7	50
			योग ...	444

टिप्पणी :- उक्त **माइनर डभनी** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कोरही के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर कोरही** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कोरही	1	50
			2	55

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कोरही	3	150
			4	110
			5	229
			योग ...	594

टिप्पणी :- उक्त माइनर कोरही की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर घूरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर घूरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर घूरी	1	36
			2	55
			3	100
			4	153
			5	138
			योग ...	482

टिप्पणी :- उक्त माइनर घूरी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मवई के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर मवई** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मवई	1	119
			1अ	78
			1ब	13
			2	95
			2अ	16
			2ब	19
			3	209
			3अ	42
			4	10
			5	11
			6	187
			6अ	24
			7	220
			8	110
			9	64
			10	106
			11	84
			12	240
			13	32
			14	45
			15	74
			16	85
			योग ...	1883

टिप्पणी :- उक्त **माइनर मवई** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कैरी नं0-1 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर कैरी नं0-1** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कैरी नं0-1	1	59
			2	200
			2अ	67
			3	35
			4	206
			4अ	32
			5	60
			6	34
			6अ	30
			7	27
			8	30
			8अ	169
			9	280
			योग ...	1229

टिप्पणी :- उक्त **माइनर कैरी नं0-1** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कैरी नं0-02 के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर कैरी नं0-02** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कैरी नं०-02	1	30
			2	40
			3	50
			4	20
			5	20
			6	46
			योग ...	206

टिप्पणी :- उक्त माइनर कैरी नं०-02 की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर भदावल के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर भदावल के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर भदावल	1	30
			2	243
			3	194
			4	23
			योग ...	490

टिप्पणी :- उक्त माइनर भदावल की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बेल्दान के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बेल्दान** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बेल्दान	1	55
			2	35
			3	38
			4	55
			5	53
			6	45
			7	34
			8	50
			9	65
			10	35
			11	40
			योग ...	505

टिप्पणी :- उक्त **माइनर बेल्दान** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर परसौली के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर परसौली** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर परसौली	1	20
			2	60
			3	55
			4	85
			5	55
			6	25
			7	35
			8	30
			9	32
			योग ...	397

टिप्पणी :- उक्त माइनर परसौली की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अन्दौरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर अन्दौरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अन्दौरा	1	200
			1अ	36
			2	45
			2अ	85

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अन्दौरा	3	50
			4	35
			5	25
			6	50
			7	45
			8	150
			9	300
			योग ...	1021

टिप्पणी :- उक्त माइनर अन्दौरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर ममसी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर ममसी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर ममसी	1	25
			2	55
			2अ	17
			3	35
			4	211
			5	215
			योग ...	558

टिप्पणी :- उक्त माइनर ममसी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर खरौली के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर खरौली** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर खरौली	1	300
			2	200
			3	109
			4	220
			5	209
			योग ...	1038

टिप्पणी :- उक्त **माइनर खरौली** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर लाखीपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर लाखीपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर लाखीपुर	1	55
			2	90

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर लाखीपुर	3	50
			4	50
			5	65
			6	120
			7	46
			योग ...	476

टिप्पणी :- उक्त माइनर लाखीपुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बन्थरी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर बन्थरी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बन्थरी	1	21
			2	80
			3	50
			4	50
			5	54
			6	210
			योग ...	465

टिप्पणी :- उक्त माइनर बन्थरी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अमलोखर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर अमलोखर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0 हेक्टेयर
1	2	3	4	5
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अमलोखर	1अ 1 2 2अ 3 3अ 4 5 6 7 8	35 50 75 140 100 105 130 75 170 110 150
			योग ...	1140

टिप्पणी :— उक्त **माइनर अमलोखर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पन्नाह के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर पन्नाह** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पन्नाह	1	35
			2	85
			3	93
			4	130
			5	145
			योग ...	488

टिप्पणी :- उक्त माइनर पन्नाह की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर खमरखा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर खमरखा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर खमरखा	1	40
			2	120
			3	80
			4	200
			योग ...	440

टिप्पणी :- उक्त माइनर खमरखा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जरोहरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर जरोहरा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जरोहरा	1	13
			2	68
			3	39
			4	46
			5	7
			6	6
			7	36
			8	44
			9	81
			योग ...	340

टिप्पणी :- उक्त **माइनर जरोहरा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर शाहपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर शाहपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर शाहपुर	1	9
			1अ	16

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर शाहपुर	1ब	53
			2	40
			3	59
			3अ	49
			4	21
			5	48
			5अ	40
			6	79
			6अ	30
			7	16
			8	20
			9	52
			योग ...	532

टिप्पणी :- उक्त माइनर शाहपुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मरौली के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा- उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मरौली के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मरौली	1	32
			2	166
			3	134
			4	174
			योग ...	506

टिप्पणी :- उक्त माइनर मरौली की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अमलोहरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर अमलोहरा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अमलोहरा	1	23
			2	44
			3	25
			4	41
			5	21
			6	46
			7	65
			8	34
			9	106
			योग ...	405

टिप्पणी :- उक्त **माइनर अमलोहरा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बिसण्डी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बिसण्डी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बिसण्डी	1	20

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बिसण्डी	2	27
			3	30
			4	67
			5	40
			6	18
			7	25
			8	25
			9	50
			10	40
			11	150
			12	80
			योग ...	572

टिप्पणी :- उक्त माइनर बिसण्डी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर जामू के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर जामू के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जामू	1	40
			2	229
			3	11
			3अ	22
			4	28
			5	26
			6	18
			7	37

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर जामू	8	47
			8अ	19
			9	57
			10	63
			11	31
			12	40
			13	40
			14	60
			15	50
			16	56
			17	10
			18	140
			19	95
			20	80
			21	93
			22	85
			23	34
			24	28
			25	53
			26	70
			27	55
			27अ	90
			28	177
			28अ	36
			29	250
			30	20
			31	310
			32	154
			33	51
			34	60
			35	35
			36	37
			37	62
			योग ...	2899

टिप्पणी :- उक्त माइनर जामू की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर रांछा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर रांछा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर रांछा	1	20
			2	15
			3	50
			4	22
			5	40
			6	60
			7	110
			योग ...	317

टिप्पणी :- उक्त **माइनर रांछा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गौरीखानपुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गौरीखानपुर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गौरीखानपुर	1	55
			2	100
			3	97
			योग ...	252

टिप्पणी :- उक्त **माइनर गौरीखानपुर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर भदवारी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर भदवारी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर भदवारी	1	35
			2	34
			3	26
			4	42
			5	73
			5अ	55
			6	26
			7	35
			8	35
			9	40
			10	75
			11	50
			12	140
			13	100
			14	20
			15	45
			योग ...	831

टिप्पणी :- उक्त **माइनर भदवारी** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मन्ठा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर मन्ठा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मन्टा	1	42
			1अ	40
			2	28
			3	55
			4	42
			5	45
			6	120
			7	45
			8	42
			9	55
			योग ...	514

टिप्पणी :- उक्त माइनर मन्टा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर औगासी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर औगासी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर औगासी	1	50
			2	80

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर औगासी	3	40
			4	24
			5	35
			6	70
			7	180
			योग ...	479

टिप्पणी :- उक्त **माइनर औगासी** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर बाकल के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर बाकल** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर बाकल	1	150
			2	40
			3	60
			4	56
			5	65
			योग ...	371

टिप्पणी :- उक्त **माइनर बाकल** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर रिसौरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर रिसौरा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर रिसौरा	1	182
			योग ...	182

टिप्पणी :— उक्त **माइनर रिसौरा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर पचोखर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर पचोखर** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर पचोखर	टेल	288
			योग ...	288

टिप्पणी :— उक्त **माइनर पचोखर** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर गुजैनी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर गुजैनी** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर गुजैनी	1	200
			2	230
			3	203
			4	220
			5	220
			योग ...	1073

टिप्पणी :- उक्त **माइनर गुजैनी** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर भभुआ के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर भभुआ** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर भभुआ	1	65
			2	60
			3	110
			4	80
			5	65

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर भभुआ	6	95
			7	85
			8	120
			9	56
			योग ...	736

टिप्पणी :- उक्त माइनर भभुआ की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर अरमार के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर अरमार के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर अरमार	1	65
			2	85
			3	120
			4	95
			5	120
			6	47
			7	75
			8	85
			योग ...	692

टिप्पणी :- उक्त माइनर अरमार की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कुम्हेड़ा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर कुम्हेड़ा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कुम्हेड़ा	1	100
			2	120
			3	101
			4	180
			योग ...	501

टिप्पणी :- उक्त **माइनर कुम्हेड़ा** की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर कलाना के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **माइनर कलाना** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कलाना	1	85
			1अ	120
			2	75
			2ब	85

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर कलाना	3	60
			4	84
			5	28
			5अ	65
			6	180
			6अ	221
			7	120
			योग ...	1123

टिप्पणी :- उक्त माइनर कलाना की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मिर्जापुर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मिर्जापुर के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मिर्जापुर	1	151
			2	190
			3	110
			योग ...	451

टिप्पणी :- उक्त माइनर मिर्जापुर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर मऊ के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर मऊ के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर मऊ	1	10
			2	11
			3	30
			4	6
			5	35
			6	25
			7	3
			8	30
			9	10
			10	55
			11	35
			12	45
			13	50
			14	50
			योग ...	395

टिप्पणी :- उक्त माइनर मऊ की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

माइनर इंगुवा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले माइनर इंगुवा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर इंगुवा	1	120
			2	209

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	माइनर इंगुवा	3	150
			4	120
			5	220
			6	310
			7	250
			योग ...	1379

टिप्पणी :- उक्त माइनर इंगुवा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा अलिहा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा अलिहा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा अलिहा	1	11
			1ब	22
			2	72
			3	30
			4	125
			5	11
			6	118
			7	4
			8	84
			9	124
			10	25
			11	75
			12	78
			13	18

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा अलिहा	14	126
			15	117
			16	109
			17	96
			18	48
			19	49
			20	116
			21	76
			22	156
			23	90
			24	91
			25	36
			26	130
			27	65
			28	82
			29	124
			30	74
			31	102
			32	109
			33	55
			34	53
			34अ	42
			34ब	26
			34सी	32
			35	46
			36	92
			37	42
			38	50
			39	188
			40	81
			41	55
			42	150
			43	64
			44	111

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा अलिहा	45	158
			46	203
			47	106
			48	167
			49	48
			50	121
			51	42
			51अ	29
			52	47
			53	38
			54	75
			55	44
			56	67
			57	45
			58	35
			59	73
			60	64
			61	21
			61अ	131
			62	86
			63	76
			63अ	38
			64	80
			65	99
			66	75
			66अ	23
			67	87
			68	125
			69	55
			70	19

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा अलिहा	71	23
			72	110
			73	26
			74	100
			75	24
			76	41
			77	100
			78	36
			78अ	27
			79	25
			80	60
			81	66
			82	79
			83	30
			84	46
			85	65
			86	39
			87	131
			88	141
			89	148
			90	42
			91	112
			योग ...	7428

टिप्पणी :- उक्त राजबहा अलिहा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा तिन्दवारी के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा तिन्दवारी के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा तिन्दवारी	1	30
			1अ	51
			2	34
			3अ	80
			3ब	44
			4	28
			5	60
			6	63
			6अ	34
			7	26
			9	79
			10	79
			11	47
			12	50
			13	44
			14	55
			15	26
			18	43
			19	72
			21	67
			23	20
			23अ	10
			24	53
			26	40
			27	42
			27अ	41
			28	75

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा तिन्दवारी	29	81
			30	78
			31	65
			33अ	33
			33ब	78
			34	55
			35	54
			36	59
			37	80
			38	34
			39	68
			40	59
			41	49
			42	68
			43	52
			45	87
			46	69
			47	57
			48	42
			49	83
			50	39
			51	20
			51अ	57
			52	51
			54	85
			56	68
			57	79
			58	54
			59	47
			60	55
			61	36

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा तिन्दवारी	62	96
			63	84
			63अ	34
			64	70
			66	34
			67	61
			68	68
			69	54
			71	32
			73	47
			74	42
			76	85
			77	74
			77अ	82
			77ब	72
			78	53
			81	25
			81अ	74
			82	79
			83	67
			84	123
			85	192
			86	84
			87	97
			88	70
			89	85
			90	65
			92	14
			92अ	12
			93	62
			94	195

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा तिन्दवारी	94अ	30
			95	66
			97	71
			98	130
			99	17
			100	24
			100अ	33
			101	17
			103	51
			104	178
			105	174
			105अ	71
			108	76
			109	80
			110	146
			111	13
			111अ	98
			113	99
			114	86
			115	245
			116	40
			117	122
			118	40
			119	41
			119अ	30
			120	61
			121	27
			122	50
			123	75
			124	48
			127	96

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा तिन्दवारी	128	21
			129	28
			130	26
			130अ	35
			131	16
			132	176
			133	77
			135	74
			135अ	34
			136	83
			137	146
			139	74
			140	30
			141	69
			142	100
			144	60
			146	65
			147	80
			147अ	19
			148	20
			148अ	24
			151	37
			152	185
			153	58
			156	57
			157	55
			158	66
			159	150
			160	68
			161	83
			162	50

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा तिन्दवारी	163	28
			164	35
			168	106
			योग ...	9937

टिप्पणी :- उक्त राजबहा तिन्दवारी की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा महुटा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा महुटा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा महुटा	1	38
			2	49
			3	46
			3अ	43
			5	209
			6	57
			7	78
			8	35
			8अ	40
			9	179
			9अ	11
			10	89
			11अ	39
			11	72

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा महुटा	12अ	16
			12	16
			13	10
			13अ	16
			14	55
			15	156
			16	53
			16अ	20
			17	84
			18	132
			19	84
			20	46
			20अ	161
			20ब	10
			21	43
			21अ	18
			22	16
			22अ	18
			23	205
			24	76
			25	80
			26	76
			27	234
			27ब	112
			28	86
			29	180
			29अ	50
			30	131
			31	111
			31अ	28
			32	46
			32अ	12

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा महुटा	33	19
			34	202
			34अ	27
			35	58
			36	134
			36अ	69
			37	60
			37अ	45
			37ब	16
			38	250
			39	139
			40	170
			40अ	65
			41	66
			42	60
			43	100
			44	70
			45	80
			46	120
			47	120
			48	52
			49	20
			50	80
			51	12
			52	22
			53	31
			54	35
			55	28
			योग ...	5516

टिप्पणी :- उक्त राजबहा महुटा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा पिण्डखर के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा पिण्डखर के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा पिण्डखर	1	15
			2	32
			2अ	22
			4	55
			4अ	12
			5	49
			6	48
			8	72
			9	95
			10	69
			11	132
			12	142
			13	33
			13अ	21
			14	111
			15	116
			16	44
			17	103
			17अ	45
			18	79
			19	101

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा पिण्डखर	20	30
			21	39
			22	76
			23	45
			24	298
			25	103
			27	221
			28	70
			29	80
			30	95
			31	291
			32	38
			32अ	147
			33	197
			34	105
			34अ	25
			34ब	65
			35	108
			35अ	35
			36	190
			36अ	112
			36ब	70
			37	90
			38	110
			38ब	75
			38सी	105
			39	150
			योग ...	4366

टिप्पणी :- उक्त राजबहा पिण्डखर की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा बसरेही के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा बसरेही के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा बसरेही	1	34
			1अ	59
			2	15
			3	66
			3अ	128
			4	17
			4अ	8
			5	38
			6	21
			7	25
			7अ	76
			8	22
			9	112
			10	44
			10अ	15
			11	57
			12	41
			13	220
			14	47
			14अ	36
			14ब	33
			16	110
			16अ	23
			17	40
			18	15
			18अ	21

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा बसरेही	18ब	22
			19	51
			20	86
			21	36
			22	84
			23	30
			24	60
			25	60
			26	35
			28	37
			29	24
			30	160
			30अ	40
			31	50
			32	36
			32अ	35
			33	33
			34	38
			36	35
			37	35
			38	318
			39	30
			40	204
			41	150
			43	125
			44	27
			45	50
			46	70
			47	60
			48	80
			49	90
			50	120
			51	378
			योग ...	4012

टिप्पणी :- उक्त राजबहा बसरेही की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा बबेरू के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **राजबहा बबेरू** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा बबेरू	1	6
			2	28
			3	4
			4	92
			5	50
			6	25
			7	28
			8	20
			10	60
			11	84
			12	55
			13	50
			14	65
			15	70
			16	57
			17	4
			18अ	120
			18ब	50
			19	55
			20	60
			21	77

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा बबेरु	22	70
			23	80
			24	68
			25	24
			25अ	118
			26	110
			26अ	239
			27	127
			28	60
			28अ	75
			29	55
			29अ	10
			30	141
			30अ	84
			32	110
			33	85
			34	231
			35	106
			35ब	120
			38	516
			39	48
			39अ	95
			40	154
			43	95
			44	120
			44अ	123
			45	104
			46	35
			46अ	55
			47	150

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा बबेरु	47अ	30
			48	95
			49	65
			50	87
			51अ	100
			52	55
			53	53
			53अ	33
			54	511
			54अ	21
			55	120
			56अ	300
			57	84
			58	55
			60	65
			61	40
			61अ	157
			62	55
			62अ	120
			63	35
			64	50
			65	75
			66	65
			67	75
			66अ	42
			67अ	80
			67ब	40
			68	42
			68अ	45
			69	100

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा बबेरू	70	75
			71	101
			72	50
			72अ	75
			73	55
			74	50
			75	81
			76	50
			76अ	85
			77	50
			78	88
			79	44
			79अ	50
			80	167
			81	45
			81अ	67
			82	42
			83	43
			83अ	65
			84	65
			84अ	50
			85	94
			86	50
			87	45
			88	50
			योग ...	8800

टिप्पणी :- उक्त राजबहा बबेरू की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा बिसण्डा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा बिसण्डा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा बिसण्डा	2	54
			3	103
			4	177
			5	69
			7	102
			8	57
			8अ	53
			9	20
			9अ	27
			10	66
			12	26
			12अ	35
			13	103
			14	23
			15	47
			16	114
			17	57
			18	45
			19	33
			19अ	78
			20	200
			22	136
			23	171
			24	102
			25	78

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा बिसण्डा	26	144
			27	121
			28	133
			29	60
			29अ	116
			30	49
			31	76
			32	28
			33	198
			34	339
			35	41
			35अ	58
			36	57
			36अ	36
			37	50
			38	42
			39	30
			39अ	30
			40	175
			41	68
			42	71
			43	30
			43अ	51
			43ब	59
			45	100
			46	100
			47	60
			48	347
			49	30
			50	35
			51	56
			52	97
			योग ...	4863

टिप्पणी :- उक्त राजबहा बिसण्डा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा ओरन के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा ओरन के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा ओरन	1	108
			4	23
			5	140
			6	256
			7	50
			9	100
			10	15
			11	22
			14	190
			15	33
			16	172
			17	192
			18	31
			19	234
			20	27
			21	102
			22	32
			23	31
			24	20
			25	29
			26	56

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा औरन	27	63
			28अ	24
			28	193
			29	113
			30	15
			31	81
			32	26
			33	159
			34	21
			35	24
			36	87
			37	162
			38	192
			39	160
			40	144
			40अ	27
			41	39
			42	45
			42अ	17
			43	158
			44	96
			45	37
			45अ	30
			45ब	23
			46	166
			46अ	33
			47	34
			48	253
			49	57
			50	75

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा ओरन	51	247
			52	17
			53	93
			54	388
			54अ	91
			55	103
			55अ	10
			55ब	14
			56	88
			56अ	35
			57	44
			58	67
			58अ	81
			58ब	62
			59	310
			60	150
			61	86
			62	60
			63	247
			64	70
			65	209
			योग ...	6889

टिप्पणी :- उक्त राजबहा ओरन की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा भीती के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा भीती के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा भीती	1	33
			2	59
			3	11
			4	31
			5	30
			6	22
			6अ	45
			7	32
			8	125
			9	32
			10	152
			11अ	215
			12	87
			12अ	42
			13	358
			14	116
			15	13
			16	193
			17	164
			18	50
			19	45
			20	100
			21	38
			22अ	100
			22	61
			23	24
			24	60
			25	54
			26	15

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा भीती	27	15
			28	30
			29	16
			30	45
			31	44
			32	17
			33	76
			34	38
			35	13
			36	95
			36अ	64
			38	59
			40	23
			41	86
			42	68
			44	163
			45	65
			46	53
			47	39
			48	77
			49	54
			50	87
			51	134
			52	57
			52अ	40
			53	43
			54	11
			55	80
			56	15
			57	159
			58	140
			योग ...	4213

टिप्पणी :- उक्त राजबहा भीती की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा कमासिन के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा कमासिन के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :—

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा कमासिन	1	33
			2	90
			3	19
			4	100
			5	35
			6	100
			7	75
			8	100
			9	80
			10	100
			11	112
			12	120
			13	140
			14	30
			15	77
			16	50
			17	84
			18	122
			19	46
			19अ	1
			20	50
			21	120

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा कमासिन	22	73
			23	90
			24	65
			25	85
			25अ	65
			26	95
			27	116
			28	120
			29	54
			30	73
			30अ	24
			31	180
			32	100
			34	85
			34अ	75
			35	65
			35अ	177
			36	75
			38	84
			39	200
			40	300
			41	200
			42	100
			42अ	176
			44	65
			45	150
			46	408
			47	151
			48	165
			48अ	91
			49	106

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा कमासिन	49अ	49
			50	134
			50अ	88
			51	30
			51अ	249
			52	93
			52अ	95
			53	200
			54	191
			54अ	152
			55	56
			56	120
			57	150
			57अ	62
			58	95
			59	110
			59अ	48
			60	85
			60अ	80
			61	120
			62	53
			62अ	124
			63	175
			64	79
			65	50
			66	65
			66अ	115
			67	122
			68	120
			69	75
			69अ	35

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा कमासिन	70	45
			71	85
			72	99
			72अ	160
			73	50
			73अ	133
			74	195
			75	165
			76	150
			77	150
			78	128
			79	100
			80	107
			81	196
			82	143
			83	110
			योग ...	10733

टिप्पणी :- उक्त राजबहा कमासिन की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा वीरा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा वीरा के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा वीरा	1	200
			2	258

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा कमासिन	3	300
			4	250
			5	220
			6	300
			7	322
			8	290
			9	240
			10	300
			11	500
			12	420
			13	400
			14	758
			15	560
			योग ...	5318

टिप्पणी :- उक्त राजबहा वीरा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा अधायु के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा अधायु के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा अधायु	1	150
			2	40
			2अ	60
			3	56

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा अधायु	4	65
			5	45
			6	34
			7	40
			7अ	42
			8	73
			9	55
			10	26
			13	100
			14	35
			18	75
			19	75
			20	50
			21	140
			22	100
			22अ	21
			23	45
			24	40
			25	75
			26	50
			27	140
			28	100
			29	120
			30	220
			31	185
			योग ...	2257

टिप्पणी :- उक्त राजबहा अधायु की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा सांडा के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 1275/के0न0प्र0/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले **राजबहा सांडा** के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी0सी0ए0
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा सांडा	1	35
			2	25
			2अ	28
			3/4	32
			5	44
			5अ	45
			6/7	34
			8	40
			9	42
			9अ	30
			10	32
			10अ	26
			10ब	55
			11	35
			12	25
			13	40
			14	50
			15	55
			16	60
			17	21
			18	45

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा सांडा	19	40
			20	75
			21	50
			22	45
			23	32
			23अ	35
			24	45
			25	38
			26	55
			27	75
			28	50
			28अ	35
			29	28
			30	21
			30अ	45
			30ब	40
			31	55
			31अ	50
			32	60
			32अ	45
			33	45
			34	50
			35	35
			36	23
			36अ	50
			37	28
			37अ	35
			38	21
			38अ	45
			39	40

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा सांडा	40	55
			40 / 42	50
			41	35
			41अ	42
			43	42
			44	42
			45	26
			46	25
			47	41
			48	35
			49	32
			योग ...	2515

टिप्पणी :- उक्त राजबहा सांडा की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

राजबहा अलोना के कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना

दिनांक : 05 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1275/के०न०प्र०/बांदा— उत्तर प्रदेश, सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या-4 सन् 2009) की धारा-6 उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई विभाग की नहरों से निकले राजबहा अलोना के कुलाबों पर कुलाबा समितियों के परिचालन क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार एतद्वारा किया जाता है :-

अनुसूची

क्र० सं०	खण्ड का नाम	पैतृक नहर का नाम	समिति का नाम कुलाबा समिति कुलाबा संख्या	परिचालन क्षेत्र का क्षेत्रफल सी०सी०ए०
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा अलोना	1	13
			2	17
			2अ	40
			3	28

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
1	केन नहर प्रखण्ड, बांदा	राजबहा अलोना	4	46
			5	19
			6	43
			7	27
			9	35
			10	44
			11	127
			12	150
			13	170
			14	50
			15	65
			16	68
			योग ...	942

टिप्पणी :- उक्त राजबहा अलोना की कुलाबा समिति के परिचालन क्षेत्र का खसरा/सजरा मानचित्र एवं अन्य अभिलेख अधिशासी अभियंता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा के खण्डीय कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
अधिशासी अभियन्ता,
केन नहर प्रखण्ड, बांदा।

प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज

अधिसूचना

12 मार्च, 2025 ई०

सं० 11089/पन्द्रह-म०कु०-2025(2024-25)—उ०प्र० गजट दिनांक 11 जनवरी, 2025 के भाग 1-क में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 5819 दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 एवं उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017 की धारा-22 द्वारा यथासंशोधित संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 की धारा-4(ii) और शासन के पत्र संख्या 3966/9-1-2024-408057 दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के द्वारा प्रदत्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अधिसूचना संख्या 6235/पन्द्रह-म०कु०-2025(2024-25) दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से महाकुम्भ मेला 2025 के आयोजन हेतु लागू समस्त अधिनियमों, संहिताओं, नियमों, विनियमों, उपविधियों (प्र०मे० प्रा० की अलग से अधिसूचित उपविधियों सहित) एवं निर्देशों इत्यादि का समस्त अधीनस्थ अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करने सम्बन्धी आदेश दिया गया था।

महाकुम्भ-2025 के समापनोपरांत मैं, विजय किरन आनन्द, मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज उक्त अधिसूचना संख्या 6235/पन्द्रह-म0कु0-2025 (2024-25) दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को तत्काल प्रभाव से समाप्त घोषित करता हूँ।

विजय किरन आनन्द,
मेलाधिकारी,
कुम्भ मेला, प्रयागराज।

PRAYAGRAJ MELA AUTHORITY, PRAYAGRAJ

Notification

March 12, 2025

No. 11089/Fifteen-K.M.2025/2024-25—In exercise of powers of District Magistrate/Collector conferred by Notification No. 5819, dated 01-12-2024 published in Part 1-a of U.P. Gazette dated 11-01-2025, Clause (ii) of Section 4 of the U.P. Melas Act, 1938 as amended by Section 22 of recently enacted U.P. Prayagraj Mela Authority (PMA) Act, 2017 and G.O. No. 3966/9-1-2024-408057, Dated 25-11-2024, the undersigned through Notification No. 6234/Fifteen-K.M. 2025/2024-25 Dated 10-12-2024, had ordered for ensuring efficient enforcement of all the Acts, Codes, Rules, Regulations, Bylaws (Including separately notified PMA Bylaws) and Instructions *etc.* as in force in the notified Mela area (Including 25 distinct Sectors) by all subordinate ADMs, SDMs, Tahsildar and NTs in their respective jurisdictions for the purpose of organizing the ensuing Mahakumbh Mela 2025.

After the completion of Mahakumbh Mela 2025, I, Vijay Kiran Anand, Meladhikari, Kumbh Mela, Prayagraj hereby declare the above-mentioned Notification No.6234/fifteen-K.M.-2025(2024-25) Dated 10-12-2024 null and void by immediate effect.

VIJAY KIRAN ANAND,
Meladhikari,
Kumbh Mela, Prayagraj.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 01 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 10, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत हमीरपुर

25 अक्टूबर, 2025 ई०

सं० 334/21-एल०बी०ए०-उपविधि-उ०प्र० क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा-142 एवं 143 के साथ पठित धारा-239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा जनपद-हमीरपुर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरम, रेत या अन्य खनिजों-गिट्टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारों के उद्गम स्थल से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में, जिले के बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानवचालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु 447/23-एल०बी०ए० जिनकी पुष्टी आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर की गयी थी, राजपत्र (गजट) में प्रकाशन के दिनांक 16 मार्च, 2015 से प्रभावी है। उक्त अधिनियम की धारा 239 में दी गयी व्यवस्थानुरूप जिला पंचायत, हमीरपुर के द्वारा उपविधि की धारा 06 में उल्लिखित शुल्क दरों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 242 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा की पुष्टि उपरान्त राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी-

क्र० सं०	परिवहन का माध्यम	वर्तमान में वसूली हेतु प्रभावी दरें (रूपये में)	संशोधित एवं प्रभावी दर (रूपये में)
1	पशुओं से खींची जाने वाली गाड़ी	20 प्रति फेरी	25 प्रति फेरी
2	मानव चालित नाव	40 प्रति फेरी	50 प्रति फेरी
3	ट्रैक्टर-ट्राली	100 प्रति फेरी	120 प्रति फेरी
	ट्रक		
	(1) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स वेहिकिल्स)	200 प्रति फेरी	230 प्रति फेरी
4	(2) ट्रक (लाइट गुड्स वेहिकिल्स 6 चक्का)	300 प्रति फेरी	350 प्रति फेरी
	(3) भारी ट्रक (हैवी वेहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	400 प्रति फेरी	460 प्रति फेरी

सम्बन्धित उपविधियों के शेष उपबन्ध पूर्व में उ०प्र० गजट में प्रकाशित उपरोक्त संदर्भित उपविधि दिनांक 16 मार्च, 2015 के अनुसार यथावत रहेगी।

दण्ड

जिला पंचायत, हमीरपुर उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश देती है। कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु० 1,000 (एक हजार रु०) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु० 50 (पचास रुपये) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

(ह०) अस्पष्ट,

आयुक्त,

चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 01 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 10, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, जमानियाँ, गाजीपुर

24 जुलाई, 2025 ई०

सं० 80/डा०लि०/न०पा०प०ज०(2025-2026)/2025-नगर पालिका अधिनियम 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा 132, 153 एवं 216 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् जमानियाँ जनपद गाजीपुर के बोर्ड की बैठक दिनांक 07 मार्च, 2024 में बोर्ड के पारित प्रस्ताव संख्या-6 के अनुसार लाइसेन्स शुल्क उपविधि नियमावली 2024 बनाती है तथा आम जनता के अवलोकन एवं आपत्तिया तथा सुझाव आमन्त्रित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 300 की उप धारा (1) के अर्न्तगत दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय सहारा के संस्करण दिनांक 29 नवम्बर 2024 में प्रकाशित कराते हुए 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये। नियत अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर विचारोपरान्त पुनः नगर पालिका परिषद् जमानियाँ के बोर्ड की बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 2025 में पारित प्रस्ताव संख्या-5 के तहत कतिपय संशोधन के पश्चात स्वीकृत किया गया है जिसे पुनः सर्व साधारण की जानकारी के लिये समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा के संस्करण दिनांक 29 जून, 2025 एवं स्वतन्त्र भारत के संस्करण 30 जून, 2025 में अन्तिम रूप से प्रकाशित कराया गया है। नगर पालिका अधिनियम, 1916 में निहित

प्राविधानो के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त लाईसेन्स शुल्क उपविधि नियमावली 2024 शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली-2024

षासनादेश संख्या-एक/838/कम्प्यू0 सेल/2019-20 लखनऊ दिनांक 22 सितम्बर, 2020 एवं षासनादेश संख्या-161 सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97, दिनांक 16 दिसम्बर 1997 एवं निदेशालय के पत्र संख्या-एक/872/ कम्प्यू0 सेल/2019-20 दिनांक 12 जनवरी, 2021 के द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अधिन प्रदत्त अधिकारी के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् जमानियाँ सीमान्तर्गत लाईसेंस उपविधि बनायी गयी है। जो यह लाईसेंस उपविधि 2024 कही जायेगी।

परिभाषा— जब तक कोई विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली में—

(क)— “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-2, 1916 से है।

(ख)— “नगर पालिका” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् जमानियाँ से है।

(ग)— “बोर्ड” का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् जमानियाँ के निर्वाचित बोर्ड अथवा षासन द्वारा स्थापित की गयी व्यवस्था से है।

(घ)— यह लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली 2024 नगरपालिका परिषद् जमानियाँ कहलायेगी।

(ङ)— “अधिषासी अधिकारी” का तात्पर्य अधिषासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् जमानियाँ से है।

(च)— “प्रभारी अधिकारी” का तात्पर्य प्रभारी अधिकारी नगरपालिका परिषद् जमानियाँ से है।

(छ)— “अध्यक्ष/चैयरमैन” का तात्पर्य अध्यक्ष/चैयरमैन नगरपालिका परिषद् जमानियाँ से है।

(ज)— “लाईसेंस अधिकारी का तात्पर्य अधिषासी अधिकारी” एवं नगरपालिका परिषद् जमानियाँ के अधिकृत कर्मचारी से है।

1— यह लाईसेंस उपविधि नियमावली नगरपालिका परिषद् जमानियाँ सीमान्तर्गत लागू होंगे। यह नियम लाईसेंस एवं अन्य शुल्क के लिए भी लागू होंगे।

2— कोई भी दुकानदार या अन्य व्यवसायी इस नियमावली के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त किये बिना व्यवसाय नहीं कर सकता है और उपनियम लागू होने के पूर्व से चल रहे समस्त दुकानदारों, व्यवसायियों, प्रतिष्ठानों आदि को लाईसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3— लाईसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 31 मार्च तक वैध होंगे। अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनः लाईसेंस प्राप्त करना होगा।

4— वित्तीय वर्ष में ही प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय के लिए आवश्यक होगा की निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गयी धनराशि, ट्रेड लाईसेंस के रूप में जमा करके लाईसेन्स प्राप्त कर लेवे।

5— ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि प्राप्तकर्ता कार्यालय नगर पालिका परिषद् जमानियाँ में जमा कर सकता है अथवा नगर पालिका के अधिकृत कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

6— केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य कई विधि निहित संस्था द्वारा तालिका में वर्णित ट्रेड लाईसेंस के नियन्त्रण हेतु लाईसेंस से भिन्न होगा।

7— नगर पालिका अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिषासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेंस का निरीक्षण कर सकता है। प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होगा।

8— नगर पालिका के अधिषासी अधिकारी एवं अधिकृत कर्मचारी अध्यक्ष की स्वीकृति से लाईसेंस निर्गत कर सकता है।

9— जो शुल्क इस पालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के व्यवसाय समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाईसेंस शुल्क लिया जायेगा।

10— इस लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली की दरें प्रभावी होते ही पूर्व में लागू की गयी लाईसेन्स की दरे निष्प्रभावी समझी जायेगी।

11— तालिका की मदों में उल्लिखित ट्रेड लाईसेंस शुल्क न बनवाने पर अथवा निरीक्षण में पकड़े जाने पर 10 प्रतिषत अतिरिक्त प्रभार के साथ शुल्क वसूली जायेगी। विशेष परिस्थिति में अधिषासी अधिकारी/अध्यक्ष को यह अधिकार होगा की वह माफ कर सकता है।

12— लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली की दरों में 05 वर्ष पश्चात 10 प्रतिषत की वृद्धि की जायेगी जिसमें पालिका बोर्ड को दो तिहाई बहुमत से संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा सहमति न होने की दशा में इसका विनिष्चय मताधिकार द्वारा होगा।

13— नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष लाईसेंस से संबन्धित किसी भी शिकायतों का निस्तारण होगा।

ट्रेड लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नवत है—

क्र० सं०	मद का नाम	दर वार्षिक
1	2	3
		रुपये
	होटल रेस्टोरेन्ट	
1	होटल लॉजिंग हाउस तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक/होटल ढावा	1,000.00
2	तीन सितारा होटल	5,000.00
3	पांच सितारा होटल	8,000.00
	नर्सिंग होम	
4	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	900.00
5	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर रु० 50 प्रति बेड)	50 (प्रति बेड)
6	प्रसूति ग्रह (20 बेड तक)	900.00
7	प्रसूति ग्रह (20 बेड से ऊपर तक)	1,000.00

1	2	3
		रुपये
8	प्राईवेट अस्पताल	2,500.00
9	पैथालॉजी सेंटर	750.00
10	एक्सरे क्लीनिक	900.00
11	डेंटल क्लीनिक	1,000.00
12	प्राईवेट क्लीनीक	1,000.00
परिवहन		
13	आटो रिक्शा 2 सीटर	150.00
14	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	50,0.00
15	आटो रिक्शा 4 सीटर	250.00
16	मिनी बस	1,000.00
17	बस	1,500.00
18	तांगा	50.00
19	रिक्शा किराये पर	20.00
20	रिक्शा निजी चलित	25.00
21	ठेला/ठेली	20.00
22	हाथ ठेला	20.00
23	बैलगाड़ी/भैसा गाड़ी	20.00
24	ट्राली	50.00
25	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	500.00
अन्य व्यवसाय		
26	धुलाई गृह (लाण्ड्री)	250.00
27	ड्राई क्लीनर	250.00
28	फाईनेन्स कम्पनी, चिट फंट	4,000.00
29	इन्व्थोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	5,000.00
30	फाउन्डिंग, इन्जीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल	1,500.00
31	पशु वद्यषाला (स्लाटर हाउस)	100.00 (प्रति पशु)
32	हड्डी खाल गोदाम	700.00
33	बार/बियर	4,000.00
34	आइस फैक्ट्री	2,000.00
35	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00

1	2	3
		रुपये
36	देशी शराब (प्रति दुकान)	5,000.00
37	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	8,000.00
38	भैंसा मांस की दुकान	5,000.00
39	बकरा मांस की दुकान	5,000.00
पशु पालन		
40	प्रति पशु	10.00
41	कांजी हाउस में बंद जानवरों पर जुर्माना	500.00
42	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवरों (बकरा आदि)	10.00
43	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवरों (गाय, भैंस, घोड़े, बकरा आदि)	50.00
44	भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र	
	(क) आवासीय भवन हेतु रु0 70 प्रति वर्ग मीटर, (ख) अनावासीय भवन हेतु रु0 120 प्रति वर्ग मीटर की दर से होगा (ग) व्यवसायिक, कॉम्प्लेक्स, होटल, बरात घर, इत्यादि हेतु रु0 145 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा। श्रम विभाग उ0प्र0 के अर्धषा0 पत्र सं0 3056 दिनांक 20 जून, 2016 के द्वारा निर्गत पत्र के क्रम में नियमतः 10 लाख से अधिक निजी आवासीय/अनावासी भवनों एवं अन्य निर्माणों (लागत की सीमा निर्धारित नहीं है) के मानचित्र स्वीकृत करते समय 1 प्रतिषत के समतुल्य उपकर की धनराशि अलग से जमा करना होगा।	
45	स्कूटर, मोटर, साइकिल रिपेरिंग	1,000.00
46	स्कूटर, 3 पहिया रिपेरिंग शॉप	1,000.00
47	साइकिल पार्ट्स व साइकिल विक्रेता	1,000.00
48	साइकिल मरम्मत की दुकान	500.00
49	आटा चक्की, स्पेलर, धान मशीन आदि	500.00
50	गन्ना, कोल्हू आरा मशीन, धर्मकाटा	500.00
पेट्रोलियम		
51	दुकान तेल मिट्टी 100 गैलेन तक	50.00
52	दुकान तेल मिट्टी 500 गैलेन तक	250.00
53	पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	2,500.00
54	पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प थोक विक्रेता	4,000.00
55	जनरेटर डीजल प्रति नग	500.00
56	दुकान अन्य पेट्रोल उत्पाद	500.00
57	गोदाम कबाड़/गूदड़ आदि	800.00

1	2	3
		रुपये
	पेट्रोलियम	
58	कोयला भट्टी	100.00
59	जूता बनाने का कारखाना बड़ा	2,000.00
60	जूता बनाने का कारखाना छोटा	1,000.00
61	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, टाइल, मारबल, ईटा, बालू, हार्डवेयर, सेनेटरी फुटकर	3,000.00
62	बिजली का सामान, थोक विक्रेता	3,000.00
63	बिजली का सामान फुटकर विक्रेता	1,500.00
64	कपड़ा व्यापारी थोक विक्रेता	5,000.00
65	कपड़ा व्यापारी फुटकर विक्रेता	2,500.00
66	बेकरी भट्टी	1,000.00
67	बेकरी पावर	1,500.00
68	हेंयर कटिंग शैलून छोटा (एक कारीगर)	250.00
69	हेंयर कटिंग शैलून छोटा (एक से अधिक कारीगर)	500.00
70	कुकिंग गैस सिलेण्डर फिलिंग फुटकर विक्रेता	1,000.00
71	जनरल मर्चेन्ट थोक	1,500.00
72	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	750.00
73	टेलरिंग हाउस (01 से 05 कर्मचारी तक)	500.00
74	टेलरिंग हाउस (05 कर्मचारी से अधिक)	100.00 (प्रति कर्मचारी)
75	कोयला थोक विक्रेता	500.00
76	कोयला फुटकर विक्रेता	250.00
77	पेंट की दुकान	750.00
78	ज्वैलर्स बड़े (पाँच लाख से अधिक के टर्न ओवर)	15,000.00
79	ज्वैलर्स बड़े (एक लाख से पाँच लाख तक टर्न ओवर)	10,000.00
80	डेयरी फार्म	1,000.00
81	भूसा थोक विक्रेता	500.00
82	भूसा फुटकर विक्रेता	250.00
83	वी0डी0ओ0 लाईब्रेरी	500.00
84	केबिल टी0वी0	2,000.00

1	2	3
	पेट्रोलियम	रुपये
85	अनाज, तिलहन, चिनी, गुड़ थोक विक्रेता	5,000.00
86	अनाज, तिलहन, चिनी, गुड़ फुटकर विक्रेता	1,500.00
87	टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रु0 से अधिक लागत)	10,000.00
88	टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रु0 तक लागत)	2,500.00
89	पान की दुकान खोखा	100.00
90	चाय की दुकान पक्की	100.00
91	चाय की दुकान खोखा	50.00
92	मीठा, चाय की दुकान पक्की बड़ी	500.00
93	किताबों के थोक विक्रेता	500.00
94	किताबों के फुटकर विक्रेता	250.00
95	लकड़ी के टाल थोक विक्रेता	1,000.00
96	लकड़ी के फुटकर विक्रेता	500.00
97	रेडियों मैकेनिक	750.00
98	टी0वी0 इलेक्ट्रानिक की दुकान (बड़ा)	5,000.00
99	टी0वी0 इलेक्ट्रानिक की दुकान (छोटा)	2,500.00
100	मिठाई की दुकान	2,500.00
101	सब्जी/फल विक्रेता	150.00
102	मसाले फुटकर विक्रेता	500.00
103	मसाले थोक विक्रेता	2,500.00
104	फर्नीचर मरम्मत कर्ता	500.00
105	फर्नीचर विक्रेता (बड़ा)	1,000.00
106	फर्नीचर मरम्मत कर्ता (छोटा)	500.00
107	क्राकरी फुटकर विक्रेता	500.00
108	क्राकरी थोक विक्रेता	1,000.00
109	लाउडस्पीकर किराये पर (पांच सेट तक)	250.00
110	लाउडस्पीकर किराये पर (पांच सेट से अधिक)	50.00 (प्रति लाउड स्पीकर)
111	खराद मशीन लकड़ी	2,500.00
112	आभूषण मरम्मत कर्ता	2,000.00
113	जूता, चप्पल मरम्मत कर्ता	50.00

1	2	3
	पेट्रोलियम	रुपये
114	ट्रान्सफार्मर बिजली (प्रति ट्रान्सफार्मर)	—
115	प्रति पोल विद्युत	—
116	सब स्टेपन (प्रति वर्ग मीटर)	—
117	प्रिंटिंग प्रेस	500.00
118	ब्यूटी पार्लर	1,000.00
119	मोबाईल की दुकान	2,500.00
120	मोबाईल मरम्मत की दुकान	1,500.00
121	आटो पार्ट्स	2,500.00
122	फोटो कापी स्टेट	50.00
123	फोटो स्टूडियो	250.00
124	वाहन एजेन्सी चार पहिया	5,000.00
125	वाहन एजेन्सी दो पहिया	2,500.00
126	ट्रक वाहन	500.00
127	कट आउट, होर्डिंग, बैनर, विज्ञापन पालिका सीमान्तर्गत लगाये गये भूमि का लाईसेन्स शुल्क	8.00 (प्रति वर्ग फुट)
128	वाहन से प्रचार का लाईसेन्स शुल्क	100.00
129	पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम)	10,000.00
130	कोचिंग सेंटर (हाई स्कूल से इण्टरमीडिएट तक)	2,500.00
131	कोचिंग सेंटर (प्रतियोगी परीक्षा)	5,000.00
132	विवाह घर (बड़ा)	25,000.00
133	विवाह घर (छोटा)	10,000.00
134	प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शनी शुल्क (100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल में)	2,000 (प्रतिदिन)
135	प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शनी शुल्क (100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में)	3,000 (प्रतिदिन)
136	आरा मशीन	10,000.00
137	राइस मिल	25,000.00
138	किराना दुकान बड़ा	1,500.00
139	किराना दुकान छोटा	500.00
140	आर0ओ0 पानी सप्लायर	1,500.00

1	2	3
	पेट्रोलियम	रुपये
141	अग्रेजी शराब की दुकान	8,000.00
142	बियर की दुकान	4,000.00
143	मछली फुटकर विक्रेता	1,000.00
144	मछली थोक विक्रेता	2,500.00
145	मुर्गी, बत्तख अण्डा के थोक विक्रेता	2,000.00
146	मुर्गा मांष की दुकान	3,000.00
147	मुर्गा/मुर्गी/बत्तख फार्म हाउस	8,000.00

नोट— प्रशासन द्वारा बन्दी दिवस को दुकान बंद करना अनिवार्य होगा। केवल जलपान आवश्यक सेवा की दुकाने खुली रहेगी।

सुलहनामा

यदि कोई दुकानदार नियमों के विरुद्ध होटल, दुकान आदि नगर पालिका परिषद् सीमा के अन्दर रखता है तथा कानून के उल्लंघन पर पालिका का अध्यक्ष व अधिषासी अधिकारी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी करता है उसी समय यदि दोषी व्यक्ति सुलहनामा के लिए प्रार्थना-पत्र दे तो अध्यक्ष व अधिषासी अधिकारी शुल्क लेकर जो रु0 1,000.00 से अधिक न होगा लेकर सुलह कर सकते हैं।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 को धारा-299 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर यह प्राविधान करती है कि इन उपनियमों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा रु0 1,000.00 का अर्थ-दण्ड दिया जा सकता है प्रथम दोष सिद्ध होने पर यदि कोई उल्लंघन जारी रखता है तो प्रतिदिन के लिए जिनसे अपराध प्रमाणित हो तो रु0 25.00 प्रतिदिन दण्ड लिया जा सकेगा। अर्थ-दण्ड की धनराशि न भुगतान करने पर कारावास से दण्डित होगा जो 06 माह तक हो सकता है।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद् जमानियाँ,
जनपद-गाजीपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत खानपुर, बुलन्दशहर

29 मार्च, 2025 ई0

सं0 19/न0पं0 खानपुर/प्रकाशन—नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-291, 292, 293(1), 294, 298(1) धारा-298(2) के शीर्षक (ड़) व धारा-299 के अधीन नगर पंचायत खानपुर की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क प्राप्त करने सम्बन्धित उपविधियों को नगर पंचायत के विशेष संकल्प संख्या-19 दिनांक 13 जून, 2024 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत जनसामान्य एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'आज का मुद्दा' दिनांक 15 फरवरी 2025 (गौतमबुद्ध नगर) के पृष्ठ संख्या-03 पर तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र—'विशाल विश्व मानव' स्याना दिनांक दिनांक 15 फरवरी 2025 के पृष्ठ संख्या-03 पर प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन पर नियत अवधि में जनसामान्य/प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उपरोक्त स्थिति मे सम्यक विचार विमर्श उपरान्त नगर पंचायत खानपुर द्वारा सर्वसम्मति से विशेष संकल्प संख्या-06 दिनांक 29 मार्च, 2025 से सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं मे अभिवृद्धि हेतु 'नगर पंचायत खानपुर की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क प्राप्त करने सम्बन्धित उपविधियों का अनुमोदन (पुष्टि कर अंतिम स्वीकृति) किया गया। उक्त उपविधियां दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा सरकारी गजट उ0प्र0 मे प्रख्यापित किये जाने की दिनांक जो भी बाद मे हो, से प्रवृत्त होगी जिसका प्रकाशन उपरोक्त पालिका अधिनियम की धारा-301(2) के अधीन किया जाता है।

उपविधियाँ

1. (1) यह उपविधि नगर पंचायत खानपुर जनपद बुलन्दशहर की "नगर पंचायत खानपुर की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क" प्राप्त करने की उपविधि कहलायेगी,

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत खानपुर क्षेत्र में प्रवृत्त होगी,

(3) यह उपविधि 01 अप्रैल, 2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें – विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में –

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से हैं,

(2) "अधिकासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के अधिकासी अधिकारी से है,

(3) "चेयरपर्सन" से तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के चेयरपर्सन/प्रशासक अधिकारी से है,

(4) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(5) "निरीक्षक" का तात्पर्य नगर पंचायत खानपुर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगर पंचायत खानपुर के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया हो,

(6) टेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम-1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3. नगर पंचायत खानपुर की सीमा के अन्दर सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान पर अस्थाई चबूतरा बनाकर, तख्ता लगाकर या किसी अन्य प्रकार से दुकान (ढकेल) आदि लगाकर सामान बेचेगा या चूल्हा आदि बनायेगा या अपने किसी अन्य कार्य के लिये अस्थाई तौर पर इस्तेमाल करेगा उस व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क दिन प्रतिदिन के अनुसार नगर पंचायत के द्वारा प्राप्त किया जायेगा जो कि मुख्य बाजारों में रु0 3/— प्रतिवर्गफुट प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा तथा अन्य स्थानों पर रु0 2/— प्रतिवर्ग फुट प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा परन्तु उक्त धनराशि किसी भी स्थिति में रु0 10/— प्रतिदिन से कम नहीं होगी।

4. नगर पंचायत के द्वारा उपरोक्त शुल्क प्राप्त करने का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि नगर पंचायत के द्वारा उस व्यक्ति से भूमि का कोई किराया प्राप्त किया जा रहा है और ना ही उसको इस इस्तेमाल शुल्क को अदा करने के आधार पर भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार ही प्राप्त होंगे बल्कि नगर पंचायत के द्वारा केवल भूमि के अस्थाई इस्तेमाल शुल्क के रूप में उक्त शुल्क वसूल किया जायेगा।

5. नगर पंचायत के द्वारा शुल्क प्राप्त करने के आधार पर उस व्यक्ति को स्थाई/अस्थायी निर्माण करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा।
6. ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई निर्माण या फड़ आदि यदि सार्वजनिक मार्ग/भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत द्वारा ऐसे निर्माण या फड़ आदि को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार होगा और इस्तेमाल शुल्क प्राप्ति की रसीद के आधार पर आपत्ति करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होगा।
7. नगर पंचायत के द्वारा अपनी भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थायी रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष अधिषासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी अपने कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है।
8. ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगा जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगा चाहे किन्हीं कारणवश ठेका 1 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का अधिकार ना होगा।
9. ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।
10. ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) जिसे उपरोक्त शुल्क वसूली का ठेका/कार्य दिया गया हो वह उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा।
11. ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया जायेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।
12. नगर पंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि इस उपनियम अथवा नगरपालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरुद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।
13. ठेके की अन्य शर्तें नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेगी।
14. नगर पंचायत के द्वारा उक्त शुल्क वसूली दिन प्रतिदिन के अनुसार वसूल करवाई जायेगी जो कि प्रत्येक दिन वसूल ना होने की स्थिति में एक से अधिक दिन की वसूली की जा सकती है और उसी प्रकार से वसूली की जा सकेगी परन्तु उक्त शुल्क दिन प्रतिदिन का शुल्क ही माना जायेगा।

15. उक्त उपविधियां नगर पंचायत के द्वारा संचालित की जाने वाली साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगी साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में नगर पंचायत के द्वारा अलग से उपविधियां बनाई जायेंगी और साप्ताहिक पैठ के ठेकेदार को इन उपविधियों के अर्न्तगत नगर पंचायत के द्वारा शुल्क वसूल करने में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।
16. यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा इन उपनियमों द्वारा उनपर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध नगर पंचायत के द्वारा कार्यवाही करेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगर पालिका अधिनियम की धारा-299 के अनुसार अंकन 1000 रुपये तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रुपये 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है ।
17. यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा ।
18. उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

(इमरान),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत खानपुर,
बुलन्दशहर ।

कार्यालय, नगर पंचायत मोठ, झॉसी

अधिसूचना

27 जून, 2025, ई0

सं0 642/न0पं0 मोठ/गजट/2025-26-नगर पंचायत मोठ झॉसी के पत्रांक सं0-48/न0पं0 मोठ/2018-19 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 व पत्रांक सं0-635/न0पं0 मोठ/गजट/2025-26 दिनांक 16 जून, 2025 के द्वारा नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाये रखने के लिये द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में निहित प्रविधानों के अधीन निम्न प्रकार उपविधि बनाने के लिये जन सामान्य से सुझाव व आपत्ति समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला दिनांक 17 जून, 2025 झॉसी में प्रकाशित कर मांगे गये थे जिसमें 15 दिवस का समय निर्धारित किया गया था। निर्धारित अवधि में जो आपत्ति/सुझाव कार्यालय, नगर पंचायत मोठ, झॉसी में मांगे गये थे। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये, अब उपविधि की अंतिम दरें प्रकाशित की जाती है।

अतः उपविधि प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्दर प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियाँ

1. संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारम्भ—

(अ) यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 कहलायेगी।

(ब) यह उपविधि नगर पंचायत मॉड सीमा के अन्दर लागू होगी।

(स) यह गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

2. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्तव्य—

(क) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट के पृथक्कृत और पृथक शाखाओं अर्थात् जैव निम्नजीकरणयोग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को संग्रहकर्ता को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपर, पैडो आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार किया जायेगा।

3. कोई भी अपशिष्ट जनित किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नालों या जलाशयों में नहीं फेकेगा न ही जलाएगा और न ही गाड़ेगा।

4. यदि किसी व्यक्ति द्वारा गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर कोई आयोजन या समारोह आयोजित किया जाता है तो वह व्यक्ति या आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा।

5. प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्य कलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य प्रयोज्य दौना, कुल्हड, डिब्बा रैपर, नारियल के छिलके, बचा भोजन, फल, सब्जी अथवा अन्य सामग्री जो सम्बन्धित विक्रेता के यहां से प्रतिदिन निकलती हो को उपयुक्त पात्र में रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पंचायत मॉड द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।

6. इस गजट के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर सभी आवास कल्याण, बाजार संघ, आर0डब्ल्यू0ए0, होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी से इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्र को सौंपेगा। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का (यदि संभव हो तो) परिसर के अन्दर कम्पोस्ट करके अथवा वायोमेथानेशन के जरिये निस्तारण किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत मॉड द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

7. नगर पंचायत मॉड के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से पांच सौ रुपये एवं पेशाब करने वाले व्यक्तियों से सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा जिसकी अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

8. नगर विकास अनुभाग-5 आदेश सं0 3595/नौ-5-2016-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर रू0 10,000.00 का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

9. सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से निम्नानुसार यूजर चार्ज वसूल किया जायेगा।

आवासीय भवन (प्रति परिवार)	रु० 40.00 प्रति माह
व्यवसायिक भवन प्रत्येक दुकान, जल पान रेस्टोरेन्ट	रु० 250.00 प्रति माह
व्यवसायिक भवन प्रत्येक काम्प्लेक्स, होटल	रु० 1,000.00 प्रति माह
व्यवसायिक भवन फैंक्ट्री अर्द्ध सरकारी संस्थान	रु० 500.00 प्रति माह
व्यवसायिक भवन चिकित्सा क्लीनिक/प्राइवेट नर्सिंगहोम	रु० 500.00 प्रतिमाह
विवाह घर या समारोह पर	रु० 2,000.00 प्रति समारोह

10. शमन शुल्क—

अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट करते हैं—

क्र० सं०	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथिन, कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रूपयों में
(क)		
1.	100 ग्राम तक	1,000.00
2.	101 ग्राम—500 ग्राम	2,000.00
3.	501 ग्राम—1 किलोग्राम	5,000.00
4.	1 किलोग्राम—5 किलोग्राम	10,000.00
5.	5 किलोग्राम से अधिक	25,000.00
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक का फेंका जाना	रु० 25,000.00
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किसी निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थानों/कार्यालय/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	रु० 1,000.00

शास्ति

उक्त धाराओं का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा उल्लंघन की दशा में रू0 5,000.00 तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है उपविधि में निर्दिष्ट जुर्माना लगाये जाने तथा जुर्माने में संशोधन का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मॉठ में निहित होगा तथा वसूली नगर पालिका अधिनियम 1916 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। इस उपविधि में निर्धारित दरों में प्रति वर्ष में 5% व प्रति 5 वर्षों में 25% वृद्धि करने का अधिकार नगर पंचायत मॉठ को होगा।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत मॉठ,
झाँसी।

कार्यालय नगर पंचायत, बल्देव, मथुरा

साप्ताहिक बाजार प्रबंधन उपविधियाँ, 2025

12 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 809/न0पं0ब0/2025-26—नगर पंचायत बल्देव जिला मथुरा में उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमा में साप्ताहिक बाजार प्रबंधन उपविधि-2025 बनायी गयी है, जिसका नगर पंचायत बल्देव के बोर्ड प्रस्ताव संख्या-07 दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के आलोच्य में तैयार उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन दिनांक 05 अगस्त, 2025 को “अमर-उजाला समाचार-पत्र” में किया गया था, जिसमें आपत्ति /सुझाव नगर पंचायत बल्देव के कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अन्दर आपत्ति मांगी गयीं। लेकिन 15 दिन में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये। अन्तिम कार्यवाही हेतु “हिन्दुस्तान समाचार-पत्र” में दिनांक 23 अगस्त, 2025 को अग्रिम कार्यवाही अनन्तिम प्रकाशन किया जा चुका है। तथा अन्तिम निर्णय के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा-301 के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है तथा यह घोषित किया जा रहा है कि उक्त अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी—

1— **संक्षिप्त नाम एवं प्रवर्तन**— इन उपविधियों को “नगर पंचायत बल्देव साप्ताहिक बाजार प्रबंधन उपविधियाँ, 2025” कहा जाएगा, और ये उपविधियाँ नगर पंचायत बल्देव क्षेत्र में तत्क्षण प्रभाव से लागू होंगी।

2— परिभाषाएँ—

- (i) “पंचायत” से अभिप्राय नगर पंचायत बल्देव से है।
- (ii) “साप्ताहिक बाजार” से तात्पर्य मेला मैदान बल्देव में प्रत्येक रविवार को आयोजित बाजार से है।
- (iii) “विक्रेता” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो बाजार में फण्ड/स्टॉल/टेला/फेरी लगाकर विक्रय करता है।
- (iv) “प्रबंधन शुल्क” का अर्थ है वह शुल्क जो सफाई, प्रकाश, पेयजल तथा अन्य व्यवस्थाओं हेतु लिया जाएगा।

3— स्थान एवं समय—

- (i) साप्ताहिक बाजार केवल मेला फील्ड, नगर पंचायत बल्देव, मथुरा में प्रत्येक रविवार को प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। समय एवं दिन में परिवर्तन का अधिकार नगर पंचायत बल्देव के बोर्ड/अध्यक्ष में निहित होगा।

(ii) अन्य किसी स्थान अथवा समय पर बाजार लगाना प्रतिबंधित होगा।

(iii) प्रत्येक वर्ष अगहन माह की एकादशी से पौष माह की पूर्णिमा तक मेला अगहन पूर्णिमा (दिसम्बर-जनवरी प्रत्येक वर्ष) के आयोजन के कारण मेला मैदान में साप्ताहिक बाजार आयोजित नहीं की जाएगी। उक्त अवधि में साप्ताहिक बाजार पुराना बस अड्डा बल्देव अथवा नगर पंचायत बल्देव के बोर्ड/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थल पर साप्ताहिक बाजार लगवाई जा सकती है।

4- अनुमति एवं पंजीयन-

(i) प्रत्येक दुकानदार/विक्रेता को नगर पंचायत से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन शुल्क रु0 100/- होगा। पंजीयन की वैधता 01 वर्ष होगी। पंजीयन नवीनीकरण शुल्क रु0 50/- होगा जोकि अगले 01 वर्ष के लिए वैध होगा। प्रत्येक दुकानदार का पंजीयन अनिवार्य होगा। अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत बल्देव अथवा नामित कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

(ii) बिना अनुमति अथवा निर्धारित स्थान से हटकर दुकान लगाने पर रु0 500/- तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

5- बाजार प्रबंधन शुल्क एवं वसूली प्रक्रिया-

(i) प्रत्येक दुकानदार से प्रतिदिन लगाई गई दुकान के फण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार बाजार प्रबंधन शुल्क वसूला जाएगा, जिसकी दरें निम्नवत हैं-

1- दुकान के फण्ड/स्टॉल/ढेला/फेरी का क्षेत्रफल- $15' \times 15' = 225$ वर्गफिट, शुल्क रु0 100/-

2- दुकान के फण्ड/स्टॉल/ढेला/फेरी का क्षेत्रफल- $10' \times 15' = 150$ वर्गफिट, शुल्क रु0 70/-

3- दुकान के फण्ड/स्टॉल/ढेला/फेरी का क्षेत्रफल- $8' \times 15' = 120$ वर्गफिट, शुल्क रु0 50/-

उपरोक्त से अधिक क्षेत्रफल पर फण्ड/स्टॉल/ढेला/फेरी लगाने पर अतिरिक्त शुल्क ऊपर दी गयीं दरों के हिसाब से देय होगा।

शुल्क में परिवर्तन/बढ़ोत्तरी का अधिकार नगर पंचायत बल्देव में निहित होगा।

(ii) शुल्क वसूली की व्यवस्था एवं शर्तें/नियम-

निम्नलिखित में से किसी एक विधि द्वारा की जा सकती है।

(अ) नगर पंचायत द्वारा नियुक्त अधिकृत कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्ष वसूली, रसीद प्रदान करते हुए।

(इ) बाजार प्रबंधन का संचालन सार्वजनिक नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा, जिसकी शर्तों का निर्धारण नगर पंचायत बल्देव द्वारा नीलामी प्रक्रिया से पूर्व किया जाएगा।

शर्तें/नियम-

1- नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु ठेकेदार/फर्म को नगर पंचायत बल्देव मथुरा में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जिसका शुल्क रु0 500/- होगा।

2- यह पंजीयन केवल नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए ही वैध/मान्य होगा।

3- नीलामी का जमानत धनराशि रु0 1,00,000/- होगी जोकि नीलामी से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी का आधार मूल्य रु0 25,000/- होगा। नीलामी प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी।

4- नीलामी में असफल फर्म/ठेकेदार की जमानत धनराशि वापिस कर दी जाएगी।

5— नीलामी में उच्चतम बोली वाली फर्म से अनुबंध किया जाएगा तथा नीलामी अवधि की बोली मूल्य 03 कार्यदिवसों के अंदर नगर पंचायत में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमानत धनराशि को जब्त करते हुए पुनः नीलामी की जाएगी। अनुबंध समाप्ति पर जमानत धनराशि फर्म/ठेकेदार को वापिस कर दी जाएगी।

6— नगर पंचायत बलदेव के बोर्ड/अध्यक्ष की अनुमति से अनुबंधित फर्म/ठेकेदार का बोली मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, जोकि 06 माह के लिए वैध होगा। यह नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा।

7— नीलामी ठेका छः माह अथवा एक साल के लिये नगर पंचायत बलदेव द्वारा नीलाम किया जा सकता है।

8— नागरिक सुविधाएँ—

(i) नगर पंचायत द्वारा बाजार क्षेत्र में पर्याप्त सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) प्रत्येक दुकानदार/विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्थान स्वच्छ बना रहे एवं कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डाला जाए। डस्टबिन की व्यवस्था विक्रेताओं को स्वयं करनी होगी।

9— उल्लंघन एवं दण्ड—

(i) उपविधियों के उल्लंघन की स्थिति में नगर पंचायत बलदेव मथुरा द्वारा रु0 200 से रु0 1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

(ii) बार-बार उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति का अनुमति-पत्र रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में बाजार में दुकान लगाने पर रोक लगाई जा सकती है।

10— विशेष प्रावधान—

(i) किसी विशेष परिस्थिति (जैसे—त्योहार, आपदा, प्रशासनिक कारण आदि) में नगर पंचायत साप्ताहिक बाजार को स्थगित, स्थानांतरित अथवा संचालन नियमों में परिवर्तन कर सकती है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति नगर पंचायत क्षेत्र में किसी स्थान पर स्थायी या अस्थायी बाजार (साप्ताहिक, दैनिक, त्योहार विशेष) लगाने की योजना बनाता है, तो उसे नगर पंचायत बलदेव से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

बिना अनुमति के बाजार लगाने की स्थिति में यह अवैध माना जाएगा, और नगर पंचायत द्वारा वसूली, जब्ती, जुर्माना या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

(iii) उपविधियों की व्याख्या, संशोधन एवं प्रवर्तन का अधिकार केवल नगर पंचायत बलदेव मथुरा के बोर्ड/अध्यक्ष को प्राप्त होगा।

उपरोक्त हेतु नगर पंचायत बलदेव मथुरा द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2025 को प्रकाशित समाचार-पत्र के संस्करण में आपत्तियाँ आमंत्रित की गयीं थी, जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। यह अनन्तिम उपविधि/गजट प्रकाशन के बाद तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

डा० मुरारी लाल शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बलदेव, मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेख तथा पैन कार्ड में मेरा नाम नीलम उपाध्याय (Neelam Upadhyay) पुत्री धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय (Dhirendra Kumar Upadhyay) है। मेरे आधार कार्ड सं0-8780 2573 4358 में मेरा नाम नीलम दूबे (Neelam Dubey) अंकित है। भविष्य में मुझे नीलम उपाध्याय दूबे (Neelam Upadhyay Dubey) पुत्री धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय (Dhirendra Kumar Upadhyay) पत्नी जयशंकर दूबे (Jai Shankar Dubey) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नीलम उपाध्याय (Neelam Upadhyay),
पुत्री श्री धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय,
पत्नी श्री जय शंकर दूबे,
ग्राम व पोस्ट-लेदुका, तहसील-बदलापुर,
जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम नेहा निगम पुत्री प्रमोद कुमार निगम था, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा मेरी सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में अंकित है। विवाहोपरांत मैंने अपना नाम नेहा निगम से बदलकर नेहा सूर्यवंशी रख लिया है। भविष्य में मुझे नेहा सूर्यवंशी पुत्री प्रमोद कुमार निगम पत्नी रवि सूर्यवंशी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नेहा निगम पत्नी रवि सूर्यवंशी,
नि0 एस0एस0-11, 826 सेक्टर डी-1,
कानपुर रोड, एल0डी0ए0 कालोनी लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चांद्र तारा (Chandra Tara) पुत्री रघुनाथ है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4228 5996 8373 में मेरा नाम चाँद तारा देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चांद्र तारा (Chandra Tara) पुत्री रघुनाथ, पत्नी देशराज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चांद्र तारा पत्नी देशराज,
ग्राम इस्माइलपुर कोटवा पोस्ट मनौरी,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अविका श्रीवास्तव पुत्री विशाल श्रीवास्तव है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8985 0804 4297 में उसका नाम आविला श्रीवास्तव हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अविका श्रीवास्तव पुत्री विशाल श्रीवास्तव के नाम से जानी व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अमृता श्रीवास्तव,
पत्नी विशाल श्रीवास्तव,
पता-213 सिटी स्टेशन न्यू कालोनी मुरादगंज,
कबीर मठ के पीछे, मुरादगंज, जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अविका यादव पुत्री सतीश यादव है

जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3212 3529 2105 में उसका नाम कोकिला यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अविका यादव पुत्री सतीश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सतीश कुमार यादव,
पता- 19, बिंदवा कला, इटावा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वेदांश मिश्रा पुत्र अरुण कुमार मिश्रा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2472 5575 0102 में उसका नाम साहिल मिश्रा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वेदांश मिश्रा पुत्र अरुण कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नीलम मिश्रा,
पत्नी अरुण कुमार मिश्रा,
पता-ग्राम जानकीपुर तह0 सिराथू ,
जनपद-कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुमारी सीमा देवी पाल (KUMARI SEEMA DEVI PAL) पुत्री श्री पारस नाथ पाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6241 0996 3150 में मेरा नाम कुमारी सीमा देवी (KUMARI

SEEMA DEVI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुमारी सीमा देवी पाल (KUMARI SEEMA DEVI PAL) पुत्री श्री पारस नाथ पाल पत्नी श्री राजीव कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कुमारी सीमा देवी पाल,
ग्राम खुशहालगढ़ पोस्ट धनुहाँ प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम शिखा तिवारी पुत्री महेश तिवारी जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0-4441 9663 9608 में उसका नाम अंशु तिवारी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शिखा तिवारी पुत्री महेश तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

महेश तिवारी,
पुत्र गोरखनाथ तिवारी,
नीबी कला झूँसी तहसील-फूलपुर,
जिला-प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक पाण्डेय पुत्र अजीत प्रकाश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7857 7456 7798 में उसका नाम अरित पाण्डेय हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिक पाण्डेय पुत्र अजीत प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजीत प्रकाश,
पुत्र शिव शंकर पाण्डेय,
ग्राम माधोपुर जगदीशपुर,
तहसील हण्डिया, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मोहम्मद मोईन अहमद पुत्र स्व0 मुस्ताक अहमद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8120 9175 3449 में मेरा नाम मकसूद अहमद अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद मोईन अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मोहम्मद मोईन अहमद,
पुत्र मुस्ताक अहमद,
पता- तेलघाना, पोस्ट-जारी, थाना बारा,
तहसील बारा जिला प्रयागराज।

सूचना

मेरे पुत्र का सही नाम आयुष्मान शुक्ल (AYUSHMAN SHUKLA) पुत्र प्रेम शंकर शुक्ल है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5577 9420 1187 में मेरे पुत्र का नाम श्लोक शुक्ल हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम से पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रेम शंकर शुक्ल,
पता- ग्राम झोखरी आदमपुर पोस्ट अटरामपुर
उर्फ नवाबगंज, तहसील सोरौव,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लकी यादव पुत्र राम बहादुर है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6804 9739 3965 में मेरा नाम माया राम अंकित हो गया है जो कि गलत हैं। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लकी यादव पुत्र रामबहादुर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लकी यादव पुत्र रामबहादुर,
निवासी ग्राम -सधवापुर मजरे इब्राहिमाबाद,
पोस्ट रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अरविन्द कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 9812 0131 8945 में उसका नाम राम सिंह हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अरविन्द कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेश चन्द्र,
नि0 नचरौला, पो0 मानापुर,
तहसील-पट्टी, जिला प्रतापगढ़।

सूचना

मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा पुत्र अमृतलाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8666 1216 1004 में उसका नाम किसन मौर्य अंकित हो गया है जो कि गलत है।

भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा पुत्र अमृत लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अमृत लाल,
निवासी—ग्राम खुटारी पोस्ट—कलवरी माफी,
जिला—मिर्जापुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नथन लाल (NATHAN LAL) पुत्र मेवालाल (MEVA LAL) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3203 6189 8578 में मेरा नाम अभिषेक कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नथन लाल (NATHAN LAL) पुत्र मेवालाल (MEVA LAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नथन लाल, पुत्र मेवालाल,
निवासी—ग्राम कोरांव खास पोस्ट करारी,
तहसील मंझनपुर थाना व जनपद—कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स साईं शक्ति कंस्ट्रक्शन ग्राम—झुंगवा, पो0—कुशीनगर जनपद कुशीनगर उ0प्र0 नामक फर्म मे साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से श्री राकेश पाण्डेय एवं श्री महावीर श्रीवास्तव जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 G-3484 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 23 जुलाई, 2025 से श्री महावीर श्रीवास्तव जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके हैं, तथा

साझेदारी डीड दिनांक 23 जुलाई, 2025 से श्री विनय शंकर जी उक्त फर्म में द्वितीय साझेदार के रूप में शामिल हो चुके हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री राकेश पाण्डेय एवं श्री विनय शंकर जी हैं। उक्त फर्म में किसी का लेन देन बकाया नहीं है।

राकेश पाण्डेय,
साझेदार,
मेसर्स साईं शक्ति कंस्ट्रक्शन ग्राम—झुंगवा,
पो0—कुशीनगर जनपद कुशीनगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शाईनिंग इन्फ्रा एस्टेट, 28, 29 सेक्टर 02 विभव नगर, फिरोजाबाद में स्थित है। उपरोक्त फर्म में साझेदार 1. श्री प्रथम मित्तल पुत्र श्री अजय मित्तल पता—28—29 सेक्टर 2 विभव नगर फिरोजाबाद 2. प्रिन्सी बंसल पुत्री स्व० श्री नारायण गुप्ता पता—0 हनुमान रोड फिरोजाबाद दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को संचालन की थी। दिनांक 19 जनवरी, 2024 को श्री नितिन बंसल पुत्र, श्री उमाशंकर 31—32 विभव नगर फिरोजाबाद को सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में दिनांक 19. सितम्बर, 2025 से 1, श्री प्रथम मित्तल पुत्र श्री अजय मित्तल पता—28—29 सेक्टर 2 विभव नगर फिरोजाबाद 2. प्रिन्सी बंसल पुत्री स्व० श्री नारायण गुप्ता पता—0 हनुमान रोड फिरोजाबाद, 3. श्री नितिन बंसल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल पता—31—32 व 2 विभव नगर फिरोजाबाद साझेदार हैं जो कि संचालित करेंगे।

प्रथम मित्तल,
साझेदार,
मेसर्स शाईनिंग इन्फ्रा एस्टेट, 28,
29 सेक्टर 02 विभव नगर, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जया गुप्ता पुत्री राजीव गुप्ता है। जो कि मेरे आधार कार्ड, एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0—233065293 में मेरा नाम

राधा अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जया गुप्ता पुत्री राजीव गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जया गुप्ता,
पुत्री राजीव गुप्ता,
निवासिनी— 118/425 डी0 कौशलपुरी,
आर0के0 नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम संगीता भाटिया पुत्री स्व0 श्याम लाल भाटिया पत्नी सुनील भाटिया है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3137 9951 2951 में मेरा नाम “रानी भाटिया” अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संगीता भाटिया पुत्री स्व0 श्याम लाल भाटिया पत्नी सुनील भाटिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संगीता भाटिया,
पुत्री श्याम लाल भाटिया पत्नी सुनील भाटिया,
निवासिनी-3/11 कृष्णा नगर कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम महक पुत्री अरविंद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7549 7554 4217 में उसका नाम अनिष्का शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम महक पुत्री अरविंद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरविंद पुत्र रमा शंकर शुक्ला,
निवासी— हाउस नं0 शान्ति नगर पुरा,
उत्तरी बिल्हौर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रियांशी वर्मा पुत्री राम नाथ है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2725 5711 6727 में मेरा नाम Pranshee अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रियांशी वर्मा पुत्री राम नाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रियांशी वर्मा पुत्री राम नाथ,
निवासीनी- 121, छतमरा, तिल्सहरी खुर्द,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अदिति पाण्डेय है जबकि आधार कार्ड सं0-4599 0058 7596 में त्रुटिवश श्रेया पाण्डेय अंकित हो गया है। अतः भविष्य में सही नाम अदिति पाण्डेय को ही सही लिखा पढ़ा व समझा जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुमुद कान्त पाण्डेय,
पुत्र स्व0 इन्द्र नारायण पाण्डेय,
नि0-27जी/6/165 भुलई का पुरा,
तेलियरगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सम्राट सिंह पुत्र करन सिंह है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0-233546863 में मेरा नाम दीपक कुमार यादव अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सम्राट सिंह पुत्र करन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सम्राट सिंह, पुत्र करन सिंह,
निवासी- 243 मनोहर नगर बर्सा 2,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दिशा यादव पुत्री दिलीप यादव है। जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। जिसमें त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3987 4903 9147 में उसका नाम दिस्या (DISYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम दिशा यादव (DISHA YADAV) पुत्री दिलीप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिलीप यादव, पुत्र राजदेव यादव,
ग्राम रमरेपुर पोस्ट सैदपुर तहसील सैदपुर,
जिला गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इलाक्षी सोनी पुत्री किशन सेठ है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री

के आधार कार्ड सं0-3403 6513 7334 में उसका नाम अर्पिता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इलाक्षी सोनी पुत्री किशन सेठ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ममता सोनी पुत्री किरन कुमार वर्मा,
म0नं0 टी-41-ए, हैदर कैनल, रेलवे कालोनी,
बासमंडी चौराहा, चारबाग, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रेयांश राय पुत्र स्व0 चन्द्रेश्वर राय है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0-238330596 में मेरा नाम स्वदेश राय अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रेयांश राय पुत्र स्व0 चन्द्रेश्वर राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्रेयांश राय पुत्र स्व0 चन्द्रेश्वर राय,
निवासी- ए0 ब्लॉक 343/12,
कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो0 शादाब पुत्र मोहम्मद शफी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख एवं निर्वाचन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0-7658 4615 3884 में मेरा नाम मोहम्मद शफी अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो0 शादाब पुत्र मोहम्मद शफी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो० शादाब, पुत्र मोहम्मद शफी,
निवासी—गिरधरपुर पो० शेखपुर,
कानपुर देहात।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ललिता देवी,
पत्नी सत्य प्रकाश पाण्डेय,
पता— किलहनापुर कुण्डा प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिव्यांशी पुत्री अनिल प्रकाश है। जो मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं०—231213122 में मेरा नाम रिच देवी यादव अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिव्यांशी पुत्री अनिल प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिव्यांशी पुत्री अनिल प्रकाश,
निवासिनी—शहबाजपुर, बिधूना औरैया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा पाण्डेय पुत्र श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—9341 0227 4585 में उसका नाम जीतू पाण्डेय पुत्र सत्य प्रकाश पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा पाण्डेय पुत्र सत्य प्रकाश पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अखंड प्रताप सिंह पुत्र शिवेन्द्र प्रताप सिंह है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—7934 4409 8390 में उसका नाम शिवांचल प्रताप सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अखंड प्रताप सिंह पुत्र शिवेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिवेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह,
ग्राम—महदीपुर, श्यामनगर पूर्वी श्याम नगर,
पोस्ट—पतुलकी, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

NOTICE

THIS is to certify that my son correct name is Hansraj Yadav S/o Shyamdhhar Yadav as per educational records. By mistake, his name entered as Ashiq Yadav in Aadhaar Card No. 9019 2957 3929, which is incorrect. I have completed all legal formalities for the correction.

Usha Devi,
W/o Shyamdhhar Yadav,
Suryabhanpur, Bhadohi.